

Here is the **LLB 2nd Semester – Paper V** syllabus as shown in your image:

---

Here is a detailed LLB 2nd Semester answer on:

 **The Early Charters and the Administration of Justice by the East India Company**

---

 **PART I – EARLY CHARTERS**

**1. Charter of 1600 Granted by Queen Elizabeth I to the East India Company.**

Main Features:

- Company received monopoly of trade in the East Indies.
- Power to make rules for its employees.
- No proper judicial system at this stage.

 Administration of justice was very limited and mainly for company servants.

---

**2. Charter of 1661**

Granted by King Charles II.

Important Provisions:

- Company got power to administer civil and criminal justice.
- Governor and Council could decide cases.
- English law was applied to British subjects.

 Beginning of formal judicial authority in India.

---

**3. Charter of 1726**

Issued by King George I.

Important Changes:

- Establishment of Mayor's Courts at:
  - Madras
  - Bombay
  - Calcutta
- Courts applied English law.
- Provided regular civil courts.

 It laid foundation of modern judicial system in India.

◇ PART II – ADMINISTRATION OF JUSTICE BY EAST INDIA COMPANY

After gaining political power (Battle of Plassey, 1757), the Company started structured judicial administration.

---

1. Dual System (1765–1772)

Introduced after Diwani rights in Bengal.

- Civil justice: Company
- Criminal justice: Nawab

System was corrupt and inefficient.

---

2. Reforms of Warren Hastings (1772)

Introduced by  
Warren Hastings.

Judicial Plan of 1772:

- Mofussil Diwani Adalat (Civil Courts)
- Mofussil Faujdari Adalat (Criminal Courts)
- Sadar Diwani Adalat (Appellate Civil Court)
- Sadar Nizamat Adalat (Appellate Criminal Court)

👉 Hindu law applied to Hindus, Muslim law to Muslims.

---

3. Regulating Act, 1773

Passed by British Parliament.

- Established Supreme Court at Calcutta (1774).
  - Conflict arose between Supreme Court and Company courts.
- 

4. Reforms of Lord Cornwallis (1793)

Introduced:

- Separation of executive and judiciary
- Salaried judges
- Codification of regulations

👉 Known as Cornwallis Code.

---

#### 🔍 Importance

- ✓ Beginning of codified legal system
  - ✓ Introduction of English legal principles
  - ✓ Foundation of modern Indian judiciary
- 

### □ हिंदी में प्रारंभिक चार्टर और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा न्याय प्रशासन

---

#### ◆ भाग I - प्रारंभिक चार्टर

##### 1. 1600 का चार्टर

रानी एलिज़ाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया।

- व्यापार का एकाधिकार
  - कर्मचारियों पर नियम बनाने का अधिकार
  - न्याय व्यवस्था सीमित
- 

##### 2. 1661 का चार्टर

राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा दिया गया।

- दीवानी और फौजदारी मामलों का अधिकार
  - गवर्नर और काउंसिल को न्यायिक शक्ति
- 

##### 3. 1726 का चार्टर

राजा जॉर्ज प्रथम द्वारा जारी।

- मद्रास, बंबई, कलकत्ता में मेयर कोर्ट

- अंग्रेजी कानून लागू
- 

### ◊ भाग II - न्याय प्रशासन

#### 1. द्वैध शासन प्रणाली (1765)

- दीवानी कंपनी के पास
  - फौजदारी नवाब के पास
- 

#### 2. वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना (1772)

- दीवानी अदालत
  - फौजदारी अदालत
  - सदर अदालत
- 

#### 3. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
- 

#### 4. लॉर्ड कॉर्नवालिस (1793)

- कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक
  - वेतनभोगी न्यायाधीश
- 

#### 🔍 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

- ✓ 1726 का चार्टर सबसे महत्वपूर्ण
- ✓ 1772 की योजना से संगठित न्याय प्रणाली
- ✓ 1793 कॉर्नवालिस कोड महत्वपूर्ण सुधार

### **The Mayor's Courts (1726)**

The Mayor's Courts were established under the Charter of 1726 issued by King George I.

They were created in the Presidency towns of:

- Madras
  - Bombay
  - Calcutta
- 

#### ◆ Composition of Mayor's Court

- One Mayor
  - Nine Aldermen
  - Mayor was elected annually.
  - Aldermen were mostly British subjects.
- 

#### ◆ Jurisdiction

##### 1. Civil Jurisdiction

- Decided civil disputes.
- Applied English law.
- Jurisdiction mainly over British subjects.

##### 2. Appellate System

- Appeal lay to the Governor and Council.
  - Further appeal to the Privy Council in England.
- 

#### ◆ Features

- ✓ First uniform judicial system in Presidency towns.
  - ✓ Introduction of English legal system in India.
  - ✓ Regular court procedure introduced.
- 

#### ◆ Defects

- ✗ Applied English law without considering Indian customs.
  - ✗ Judges were not legally trained.
  - ✗ Conflict with local authorities.
- 

◆ Importance

- Laid the foundation of modern judiciary in India.
  - First time a structured civil court system was introduced.
  - Beginning of separation of judicial authority from executive control.
- 

□ हिंदी में मेयर कोर्ट (1726) 1726 के चार्टर द्वारा स्थापित।

स्थापना:

- मद्रास
  - बंबई
  - कलकत्ता
- 

संरचना

- 1 मेयर
  - 9 एल्डरमैन
- 

अधिकार क्षेत्र

- ✓ दीवानी मामलों की सुनवाई
  - ✓ अंग्रेजी कानून लागू
  - ✓ अपील गवर्नर एवं काउंसिल को
- 

महत्व

✓ भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत

✓ नियमित न्यायालय प्रणाली

---

दोष

✗ भारतीय परंपराओं की अनदेखी

✗ न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ नहीं

---

---

### Judicial Reforms of Warren Hastings and the Advent of Adalat System

---

◆ In English

#### 1. Background

When Warren Hastings became the Governor of Bengal in 1772, the judicial system of the East India Company was corrupt, unorganized, and uncertain. There was no proper separation between revenue and judicial functions. To remove these defects, Hastings introduced major judicial reforms in 1772 and 1774.

These reforms led to the establishment of the Adalat System in India.

---

#### 2. Judicial Plan of 1772

In 1772, Hastings introduced his first Judicial Plan with the following features:

##### (A) Establishment of Mofussil Courts

###### 1. Mofussil Diwani Adalat

- Established in each district.
- Decided civil cases (property, contract, inheritance).
- Headed by the District Collector.
- Hindu law applied to Hindus, Muslim law to Muslims.

###### 2. Mofussil Faujdari Adalat

- Decided criminal cases.
  - Presided over by Indian officers (Qazi and Mufti).
  - Supervised by the Company.
-

(B) Establishment of Sadar Courts (at Calcutta)

1. Sadar Diwani Adalat
    - Highest civil court.
    - Headed by the Governor and Council.
  2. Sadar Nizamat Adalat
    - Highest criminal court.
    - Controlled by the Nawab but supervised by the Company.
- 

3. Judicial Plan of 1774

- Reorganized criminal courts.
  - Increased Company control.
  - Attempted to reduce corruption.
  - Established Provincial Councils to supervise courts.
- 

4. Importance of Hastings' Reforms

- ✓ First systematic judicial structure in British India
  - ✓ Separation of civil and criminal courts
  - ✓ Beginning of Anglo-Indian legal system
  - ✓ Foundation of modern Indian judiciary
- 

◆ हिंदी में

1. पृष्ठभूमि

1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने, तब न्याय व्यवस्था अव्यवस्थित और भ्रष्ट थी। राजस्व और न्यायिक कार्य अलग नहीं थे। इसलिए हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार लागू किए।

इन सुधारों से अदालत प्रणाली (Adalat System) की शुरुआत हुई।

---

2. 1772 की न्याय योजना

(A) जिला न्यायालय (मुफ़्त्सिल अदालतें)

1. मुफस्सिल दीवानी अदालत
    - प्रत्येक जिले में स्थापित।
    - दीवानी (सिविल) मामलों की सुनवाई।
    - जिला कलेक्टर अध्यक्ष।
    - हिंदुओं पर हिंदू कानून, मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू।
  2. मुफस्सिल फौजदारी अदालत
    - आपराधिक मामलों की सुनवाई।
    - काजी और मुफ्ती अध्यक्ष।
    - कंपनी की निगरानी।
- 

(B) सदर अदालतें (कलकत्ता में)

1. सदर दीवानी अदालत
    - सर्वोच्च सिविल न्यायालय।
    - गवर्नर और काउंसिल द्वारा संचालित।
  2. सदर निजामत अदालत
    - सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय।
    - नवाब के अधीन, परंतु कंपनी के नियंत्रण में।
- 

3. 1774 की न्याय योजना

- आपराधिक अदालतों का पुनर्गठन।
- कंपनी का अधिक नियंत्रण।

- भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास।
- 

#### 4. महत्व

- ✓ भारत में पहली व्यवस्थित न्याय प्रणाली
  - ✓ दीवानी और फौजदारी अदालतों का पृथक्करण
  - ✓ आधुनिक न्यायपालिका की नींव
  - ✓ एंग्लो-इंडियन विधि प्रणाली की शुरुआत
- 
- 

#### **Regulating Act ( india's first written law.)**

- ◆ In English

##### 1. Background

By 1773, the East India Company was facing:

- Severe financial crisis
- Corruption among officials
- Mismanagement in Bengal
- Famine of 1770

To control the Company's political and administrative activities, the British Parliament passed the Regulating Act, 1773.

It was the first step of Parliamentary control over India.

---

##### 2. Main Features of the Regulating Act, 1773

###### (1) Governor of Bengal became Governor-General of Bengal

- The Governor of Bengal was made Governor-General of Bengal.
  - Warren Hastings became the first Governor-General.
  - Assisted by a Council of four members.
  - Decisions were taken by majority vote.
- 

###### (2) Subordination of Bombay and Madras

- Governors of Bombay and Madras were made subordinate to the Governor-General of Bengal.
- They could not declare war or make treaties without approval.

(3) Establishment of Supreme Court at Calcutta (1774)

- A Supreme Court was established at Calcutta.
  - It consisted of:
    - One Chief Justice
    - Three Judges
  - Sir Elijah Impey was the first Chief Justice.
  - Applied English law.
- 

(4) Control over Company Officials

- Company servants were prohibited from taking bribes and gifts.
  - Directors were to be elected for 4 years.
- 

3. Defects of the Act

- ✗ Conflict between Governor-General and Council
- ✗ Conflict between Supreme Court and Executive
- ✗ Unclear jurisdiction of Supreme Court
- ✗ Did not clearly define powers

These defects later led to the Amending Act (Act of Settlement, 1781).

---

4. Importance

- ✓ First constitutional step in India
  - ✓ Beginning of centralized administration
  - ✓ Start of British Parliamentary control
  - ✓ Foundation of modern judicial system
- 

◆ हिंदी में

1. पृष्ठभूमि

1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी।

इसलिए ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। यह भारत पर संसद का पहला नियंत्रण था।

## 2. प्रमुख प्रावधान

(1) बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया गया

- वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने।
  - चार सदस्यों की परिषद बनाई गई।
  - बहुमत से निर्णय।
- 

(2) मद्रास और बॉम्बे को अधीन किया गया

- दोनों प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गईं।
  - बिना अनुमति युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे।
- 

(3) कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)

- एक मुख्य न्यायाधीश और तीन न्यायाधीश।
  - सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश।
  - अंग्रेजी कानून लागू।
- 

(4) कंपनी अधिकारियों पर नियंत्रण

- रिश्वत और उपहार लेना निषिद्ध।
  - निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष।
- 

## 3. दोष

- ✗ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं
  - ✗ गवर्नर-जनरल और परिषद में संघर्ष
  - ✗ सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका में विवाद
- 

#### 4. महत्व

- ✓ भारत का पहला लिखित संवैधानिक कानून
  - ✓ केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत
  - ✓ संसद का नियंत्रण स्थापित
- 
- 

#### **Pitt's India Act**

- ◆ In English

##### 1. Background

The Regulating Act failed to properly control the East India Company.

There were:

- Conflicts between Governor-General and Council
- Conflict between Supreme Court and Executive
- Lack of clear Parliamentary control

Therefore, in 1784, the British Prime Minister William Pitt the Younger introduced Pitt's India Act.

---

##### 2. Main Features

###### (1) Establishment of Board of Control

- A Board of Control was created in England.
- It consisted of:
  - Secretary of State
  - Chancellor of the Exchequer
  - Four other members
- It supervised civil, military, and revenue matters.

👉 This created dual control (Double Government):

- Court of Directors → Commercial matters
- Board of Control → Political matters

(2) Reduction of Council Members

- Governor-General's Council reduced from 4 to 3 members.
  - Governor-General got stronger powers.
- 

(3) Control over Presidencies

- Bombay and Madras were strictly subordinate to Bengal.
  - They could not declare war without permission.
- 

(4) Company's Territories Called "British Possessions"

- Indian territories were recognized as British possessions.
  - Political control shifted to the British Government.
- 

3. Importance

- ✓ Established Parliamentary control over India
  - ✓ Reduced corruption
  - ✓ Strengthened central administration
  - ✓ Beginning of Crown's real authority in India
- 

4. Difference Between Regulating Act 1773 & Pitt's India Act 1784

Regulating Act 1773	Pitt's India Act 1784
First control over Company	Stronger control
No Board of Control	Board of Control created
Weak central system	Strong central authority
Caused conflicts	Removed many defects

---

◆ हिंदी में

1. पृष्ठभूमि

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सफल नहीं रहा।

इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया।

---

## 2. प्रमुख प्रावधान

### (1) बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना

- इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया।
  - यह कंपनी के राजनीतिक मामलों की निगरानी करता था।
  - इससे दोहरी शासन प्रणाली (Dual Government) बनी।
- 

### (2) गवर्नर-जनरल की शक्ति बढ़ाई गई

- परिषद के सदस्यों की संख्या घटाई गई।
  - केंद्रीय नियंत्रण मजबूत किया गया।
- 

### (3) मद्रास और बॉम्बे को अधीन किया गया

- बिना अनुमति युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे।
- 

### (4) भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश संपत्ति घोषित

- **भारत को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र माना गया।**
- 

## 3. महत्व

- ✓ संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित
  - ✓ केंद्रीय शासन मजबूत
  - ✓ **ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत**
- 
-

## Act of Settlement (Also called the Amending Act, 1781)

---

- ◆ In English

### 1. Background

The Regulating Act created serious conflicts between:

- The Governor-General and Council
- The Supreme Court and the Executive
- The Supreme Court and the Indian population

The Supreme Court at Calcutta was applying English law to Indians, which caused confusion and unrest.

To remove these defects, the British Parliament passed the Act of Settlement, 1781.

---

### 2. Main Provisions

#### (1) Jurisdiction of Supreme Court Limited

- The Supreme Court's jurisdiction was restricted.
  - It could not interfere in:
    - Revenue matters
    - Acts of Governor-General and Council done in official capacity
- 

#### (2) Personal Law Recognised

- Hindus were to be governed by Hindu law.
- Muslims were to be governed by Muslim law.
- English law would not automatically apply to Indians.

👉 This was a major step in respecting Indian personal laws.

---

#### (3) Protection to Company Officials

- Actions taken in official capacity were protected from unnecessary legal proceedings.
- 

#### (4) Clarity of Powers

- Defined the powers of:
  - Governor-General
  - Council

- Supreme Court

---

### 3. Importance

- ✓ Removed defects of Regulating Act 1773
- ✓ Reduced conflict between Executive and Judiciary
- ✓ Recognised personal laws of Indians
- ✓ Strengthened administrative stability

---

#### ◆ हिंदी में

##### 1. पृष्ठभूमि

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर-जनरल के बीच टकराव होने लगा। सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानून भारतीयों पर लागू कर रही थी।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया।

---

##### 2. प्रमुख प्रावधान

###### (1) सुप्रीम कोर्ट की अधिकार-सीमा सीमित

- राजस्व मामलों में हस्तक्षेप नहीं।
- गवर्नर-जनरल के आधिकारिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं।

---

###### (2) व्यक्तिगत कानून की मान्यता

- हिंदुओं पर हिंदू कानून लागू।
- मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू।
- अंग्रेजी कानून स्वतः लागू नहीं होगा।

---

###### (3) कंपनी अधिकारियों को संरक्षण

- आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा।
- 

#### (4) शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएँ तय की गईं।
- 

### 3. महत्व

- ✓ रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ दूर कीं
  - ✓ न्यायपालिका और कार्यपालिका में संतुलन
  - ✓ भारतीय व्यक्तिगत कानूनों की मान्यता
- 
- 

### Judicial Reforms of Lord Cornwallis and Lord William Bentinck

---

#### ◆ Part I – Judicial Reforms of Lord Cornwallis (1786–1793)

#### ◆ In English

Lord Cornwallis introduced major judicial reforms through the Cornwallis Code (1793).

#### 1. Separation of Powers

- Revenue and judicial functions were separated.
- Collectors were deprived of judicial powers.

#### 2. Civil Courts System

Hierarchy of Civil Courts:

- Munsif Courts
- Registrar Courts
- District Diwani Adalat
- Provincial Courts of Appeal
- Sadar Diwani Adalat (Highest Civil Court)

#### 3. Criminal Courts System

- District level: Faujdari Adalat
- Provincial Circuit Courts
- Sadar Nizamat Adalat (Highest Criminal Court)

#### 4. Exclusion of Indians from Higher Posts

- Higher judicial posts reserved for Europeans.

#### 5. Principle of Rule of Law

- Officials made accountable.
- No private trade for Company servants.

#### ◆ Importance

- ✓ Established modern judicial structure
  - ✓ Separation of judiciary and executive
  - ✓ Reduced corruption
- 

#### ◆ हिंदी में

##### 1. शक्तियों का पृथक्करण

- राजस्व और न्यायिक कार्य अलग किए गए।

##### 2. दीवानी न्यायालय व्यवस्था

- मुंसिफ न्यायालय
- जिला दीवानी अदालत
- प्रांतीय अपील न्यायालय
- सदर दीवानी अदालत

##### 3. फौजदारी न्यायालय

- जिला फौजदारी अदालत
- सर्किट कोर्ट
- सदर निजामत अदालत

##### 4. भारतीयों को उच्च पदों से वंचित किया गया

महत्व

- ✓ आधुनिक न्यायिक व्यवस्था की नींव
  - ✓ न्यायपालिका स्वतंत्र हुई
- 

### ◆ Part II – Judicial Reforms of Lord William Bentinck (1828–1835)

#### ◆ In English

Lord William Bentinck made reforms to simplify and Indianize the judicial system.

#### 1. Abolition of Provincial Courts of Appeal

- Reduced delay and expense.

#### 2. Appointment of Indians

- Indians appointed as Munsifs and Subordinate Judges.

#### 3. Introduction of Indian Language

- Persian replaced by local languages in courts (1837 decision initiated in his time).

#### 4. Improvement in Criminal Justice

- Circuit Courts abolished.
- Magistrates given criminal powers.

#### 5. Social Reform

- Abolition of Sati (1829) – indirectly related to legal reform.
- 

#### ◆ हिंदी में

#### 1. प्रांतीय अपील न्यायालय समाप्त

- मुकदमों में देरी कम हुई।

#### 2. भारतीयों की नियुक्ति

- मुंसिफ और निचली अदालतों में भारतीय न्यायाधीश।

#### 3. स्थानीय भाषा का प्रयोग

- फारसी के स्थान पर भारतीय भाषाएँ।

#### 4. सर्किट कोर्ट समाप्त

## 5. सामाजिक सुधार

- सती प्रथा का उन्मूलन (1829)

---

### ◆ Comparison (Exam Point)

Cornwallis	Bentinck
Created judicial structure	Simplified it
Favoured Europeans	Encouraged Indian participation
Strict separation of powers	Administrative efficiency
1793 Code	Reformist approach

---

### ◆ Overall Importance

- ✓ Foundation of modern Indian judiciary
  - ✓ Beginning of Indian participation in judiciary
  - ✓ Reduced delay and corruption
  - ✓ Strengthened rule of law
- 

### The High Courts in India

- ◆ In English

#### 1. Background

Before 1861, there were two types of courts in Presidency towns:

- Supreme Courts (established under Royal Charter)
- Sadar Diwani and Sadar Nizamat Adalats

This dual system created confusion and conflict.

To remove this defect, the British Parliament passed the Indian High Courts Act.

---

#### 2. Establishment of High Courts

Under this Act, High Courts were established at:

- Calcutta (1862)
- Bombay (1862)
- Madras (1862)

These High Courts replaced:

- Supreme Courts
  - Sadar Diwani Adalat
  - Sadar Nizamat Adalat
- 

### 3. Composition

Each High Court consisted of:

- One Chief Justice
- Not more than 15 judges

Judges were appointed by the British Crown.

They included:

- Barristers
  - Civil servants
  - Persons having judicial experience
- 

### 4. Jurisdiction of High Courts

#### (1) Civil Jurisdiction

Power to try civil cases.

#### (2) Criminal Jurisdiction

Power to try criminal cases.

#### (3) Admiralty Jurisdiction

Cases relating to maritime matters.

#### (4) Testamentary and Intestate Jurisdiction

Cases relating to wills and inheritance.

#### (5) Original and Appellate Jurisdiction

- Could hear cases directly (Original)
  - Could hear appeals from lower courts (Appellate)
- 

### 5. Importance

- ✓ Abolished dual court system
- ✓ Unified judicial administration
- ✓ Strengthened rule of law
- ✓ Beginning of modern High Court system in India

◆ हिंदी में

1. पृष्ठभूमि

1861 से पहले प्रेसीडेंसी नगरों में दो प्रकार की अदालतें थीं:

- सुप्रीम कोर्ट
- सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत

इस द्वैध व्यवस्था से भ्रम उत्पन्न होता था।

इसे समाप्त करने के लिए 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित किया गया।

---

2. स्थापना

1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए गए।

इन हाई कोर्ट्स ने:

- सुप्रीम कोर्ट
- सदर दीवानी अदालत
- सदर निजामत अदालत

को समाप्त कर दिया।

---

3. संरचना

- एक मुख्य न्यायाधीश
  - अधिकतम 15 न्यायाधीश
  - नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा
-

#### 4. अधिकार-क्षेत्र

- दीवानी अधिकार
  - फौजदारी अधिकार
  - समुद्री (Admiralty) अधिकार
  - वसीयत संबंधी अधिकार
  - मूल एवं अपीलीय अधिकार
- 

#### 5. महत्व

- ✓ न्यायिक एकीकरण
  - ✓ आधुनिक न्यायपालिका की शुरुआत
  - ✓ एक समान न्यायिक प्रणाली
- 
- 

#### Judicial Committee of the Privy Council

---

- ◆ In English

##### 1. Introduction

The Judicial Committee of the Privy Council was the highest court of appeal for India during British rule.

Even after the establishment of High Courts in 1862, final appeals could be made to the Privy Council in England.

It functioned as the supreme appellate authority for civil and criminal cases from India.

---

##### 2. Establishment

- The Judicial Committee was established under the Judicial Committee Act, 1833.
  - It acted as an advisory body to the British Crown.
  - Its decisions were technically advice to the Crown but were binding in practice.
- 

##### 3. Jurisdiction

The Privy Council had:

(1) Appellate Jurisdiction

- Heard appeals from:
  - High Courts in India
  - Federal Court of India (after 1937)

(2) Civil and Criminal Cases

- Important constitutional and personal law cases were decided here.
- 

4. Importance in Indian Legal System

- ✓ Developed principles of Hindu and Muslim law
- ✓ Interpreted many constitutional provisions
- ✓ Introduced doctrine of precedent
- ✓ Shaped modern Indian jurisprudence

Many important personal law judgments came from the Privy Council.

---

5. Abolition

- After independence, appeals were gradually stopped.
  - The Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949 ended its authority over India.
  - The Supreme Court of India became the final court of appeal in 1950.
- 

◆ हिंदी में

1. परिचय

प्रिवी काउंसिल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वोच्च अपीलिय न्यायालय था।

हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में की जाती थी।

---

2. स्थापना

- 1833 के अधिनियम के तहत स्थापना।
- यह ब्रिटिश क्राउन को सलाह देने वाली न्यायिक समिति थी।

- इसके निर्णय बाध्यकारी माने जाते थे।
- 

### 3. अधिकार-क्षेत्र

#### (1) अपीलीय अधिकार

- भारतीय हाई कोर्ट से अपील सुनना।

#### (2) दीवानी एवं फौजदारी मामले

---

### 4. महत्व

- ✓ भारतीय विधि का विकास
  - ✓ व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या
  - ✓ न्यायिक मिसाल (Precedent) की स्थापना
- 

### 5. समाप्ति

- 1949 में प्रिवी काउंसिल का अधिकार समाप्त।
  - 1950 से भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय बना।
- 

#### ◇ Exam Point (Short Conclusion)

**The Privy Council played a crucial role in shaping Indian legal principles but represented foreign judicial control. Its abolition marked the beginning of full judicial sovereignty of India.**

---

---

#### Supreme Court of India

---

- ◆ In English

#### 1. Introduction

The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country. It was established on 26 January 1950, replacing the:

- Federal Court of India (1937)

- Judicial Committee of the Privy Council

It is the guardian of the Constitution and protector of Fundamental Rights.

---

## 2. Composition

- One Chief Justice of India
- Other judges (number decided by Parliament; presently 34 including CJI)

Judges are appointed by the President of India.

---

## 3. Jurisdiction

### (1) Original Jurisdiction (Article 131)

- Disputes between:
  - Union and States
  - State vs State

### (2) Writ Jurisdiction (Article 32)

- Protection of Fundamental Rights.
- Can issue writs:
  - Habeas Corpus
  - Mandamus
  - Prohibition
  - Certiorari
  - Quo Warranto

### (3) Appellate Jurisdiction

- Appeals in civil, criminal and constitutional cases from High Courts.

### (4) Advisory Jurisdiction (Article 143)

- President may seek advisory opinion.
- 

## 4. Powers

- ✓ Judicial Review
  - ✓ Interpretation of Constitution
  - ✓ Court of Record (Article 129)
  - ✓ Power to punish for contempt
-

## 5. Importance

- Final court of appeal
  - Maintains federal balance
  - Protects democracy
  - Ensures rule of law
- 

### ◆ हिंदी में

#### 1. परिचय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।

इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई।

यह संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक है।

---

#### 2. संरचना

- एक मुख्य न्यायाधीश
  - अन्य न्यायाधीश (वर्तमान में कुल 34)
  - नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- 

#### 3. अधिकार-क्षेत्र

(1) मूल अधिकार-क्षेत्र (अनुच्छेद 131)

- केंद्र और राज्य के बीच विवाद

(2) रिट अधिकार (अनुच्छेद 32)

- मौलिक अधिकारों की रक्षा

(3) अपीलीय अधिकार

- उच्च न्यायालय से अपील

(4) परामर्शात्मक अधिकार (अनुच्छेद 143)

---

#### 4. शक्तियाँ

- ✓ न्यायिक पुनरावलोकन
  - ✓ संविधान की व्याख्या
  - ✓ अवमानना की शक्ति
- 

#### 5. निष्कर्ष (Exam Point)

The Supreme Court ensures supremacy of the Constitution and acts as the final protector of justice in India.

---

---

### **The Law Commissions and Codification in India**

---

- ◆ In English

#### 1. Introduction

The policy of codification means reducing laws into systematic written codes. In India, codification began during British rule to bring:

- Uniformity
- Certainty
- Simplicity in law

The foundation was laid by the Charter Act.

---

#### 2. First Law Commission (1834)

- Established under Charter Act, 1833.
- Chairman: Thomas Babington Macaulay

Major Contribution:

- ✓ Drafted the Indian Penal Code (IPC)
  - Drafted in 1837

- Enforced in 1860
- 

### 3. Second Law Commission (1853)

- Worked on procedural laws.
  - Drafted:
    - Code of Civil Procedure
    - Code of Criminal Procedure
- 

### 4. Third Law Commission (1861)

- Worked on:
  - Law of Evidence
  - Law of Contract

#### Important Acts:

- Indian Evidence Act
  - Indian Contract Act
- 

### 5. Fourth Law Commission (1879)

- Further revision and consolidation of laws.
- 

### 6. Importance of Codification

- ✓ Uniform law for whole India
  - ✓ Replaced uncertain customary laws
  - ✓ Clear and systematic legal system
  - ✓ Reduced judicial confusion
- 

## ◆ हिंदी में

### 1. परिचय

संहिताकरण (Codification) का अर्थ है कानूनों को लिखित रूप में व्यवस्थित करना।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कानूनों को एकरूप बनाने के लिए लॉ कमीशन बनाए गए।

2. प्रथम लॉ कमीशन (1834)

- स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत।
- अध्यक्ष - मैकॉले।

मुख्य योगदान: ✓ भारतीय दंड संहिता (IPC) का मसौदा।

---

3. द्वितीय लॉ कमीशन (1853)

- दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया संहिता का निर्माण।
- 

4. तृतीय लॉ कमीशन (1861)

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
  - भारतीय संविदा अधिनियम 1872
- 

5. महत्व

- ✓ पूरे भारत में समान कानून
  - ✓ स्पष्ट एवं व्यवस्थित न्याय प्रणाली
  - ✓ आधुनिक विधि व्यवस्था की नींव
- 

◆ Exam Conclusion

The Law Commissions played a crucial role in transforming India from a system based on customs and personal laws to a modern codified legal system.

---

---

**Development of Criminal Law in India**

---

◆ In English

1. Ancient Period

In ancient India, criminal law was based on:

- Dharmashastras (for Hindus)
- Quran and Muslim law (during Mughal period)

Punishments were severe and depended on caste and religion.

There was no uniform criminal law.

---

## 2. Mughal Period

- Criminal justice was administered by Qazis.
- Islamic criminal law (Shariat) was applied.
- Punishments included corporal punishment and fines.

There was no codified uniform system for all people.

---

## 3. Early British Period

When the East India Company came to power:

- Initially, Muslim criminal law was continued.
- British officials gradually modified it.

Under Warren Hastings (1772 Plan), criminal courts (Faujdari Adalat) were established.

---

## 4. Reforms of Lord Cornwallis (1793)

Lord Cornwallis introduced:

- ✓ Separation of judiciary from executive
- ✓ Reorganization of criminal courts
- ✓ Sadar Nizamat Adalat as highest criminal court

Muslim criminal law was still applied but under British supervision.

---

## 5. Codification – Indian Penal Code

Major development came with:

Indian Penal Code

- Drafted by Thomas Babington Macaulay
- Enforced in 1860

Features:

- ✓ Uniform criminal law for whole India

- ✓ Defined offences clearly
  - ✓ Fixed punishments
  - ✓ Based on equality before law
- 

## 6. Procedural Development

- Code of Criminal Procedure (later revised 1973)
- Indian Evidence Act

These completed the criminal justice system.

---

## 7. Post-Independence Development

After 1950:

- ✓ Constitution ensured Fundamental Rights
- ✓ CrPC 1973 replaced 1898 Code
- ✓ Reforms for fair trial and human rights

Recently, IPC has been replaced by:

- Bharatiya Nyaya Sanhita
- 

### ◆ Conclusion

The development of criminal law in India moved from:

Custom-based and religious laws → British codified law → Modern constitutional criminal justice system.

---

### ◆ हिंदी में

#### 1. प्राचीन काल

- धर्मशास्त्रों पर आधारित कानून
  - मुगल काल में इस्लामी आपराधिक कानून
  - कोई एक समान संहिता नहीं
- 

#### 2. प्रारंभिक ब्रिटिश काल

- मुस्लिम कानून लागू रहा
  - वॉरेन हेस्टिंग्स ने फौजदारी अदालतें स्थापित कीं
- 

### 3. कॉर्नवालिस सुधार

- न्यायपालिका अलग की गई
  - सदर निजामत अदालत सर्वोच्च फौजदारी अदालत बनी
- 

### 4. भारतीय दंड संहिता 1860

- मैकॉले द्वारा मसौदा
  - पूरे भारत में एक समान कानून
- 

### 5. प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता
  - भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- 

### 6. स्वतंत्रता के बाद

- संविधान के तहत मौलिक अधिकार
  - 1973 की नई दंड प्रक्रिया संहिता
  - 2023 में भारतीय न्याय संहिता
- 

#### ◆ Exam Ready Summary (Short Line)

Development of Criminal Law in India shows transition from religious and customary punishments to a modern codified, constitutional criminal justice system.

---

**Law of Contract and Law of Evidence in India**

◆ I. Law of Contract in India

■ In English

The law of contract in India is mainly governed by the:

Indian Contract Act

It was drafted during British rule and came into force on 1 September 1872.

---

1. Meaning of Contract

According to Section 2(h):

A contract is an agreement enforceable by law.

Agreement = Offer + Acceptance

Contract = Agreement + Legal enforceability

---

2. Essential Elements of a Valid Contract

- ✓ Offer and Acceptance
  - ✓ Free Consent
  - ✓ Lawful Consideration
  - ✓ Competent Parties
  - ✓ Lawful Object
  - ✓ Not expressly declared void
- 

3. Types of Contracts

- Valid Contract
  - Void Contract
  - Voidable Contract
  - Illegal Contract
  - Express and Implied Contract
- 

4. Importance

- ✓ Provides legal security in commercial transactions
  - ✓ Ensures certainty in business
  - ✓ Basis of modern commercial law
-

◆ II. Law of Evidence in India

■ In English

The law of evidence is governed by:

Indian Evidence Act

Drafted under the Third Law Commission and enforced in 1872.

---

1. Meaning

Evidence means proof used in court to establish facts.

---

2. Types of Evidence

- ✓ Oral Evidence
  - ✓ Documentary Evidence
  - ✓ Primary and Secondary Evidence
  - ✓ Direct and Circumstantial Evidence
- 

3. Important Principles

- Evidence must be relevant (Sections 5–55)
  - Burden of proof lies on the person who asserts
  - Facts admitted need not be proved
  - Presumptions under the Act
- 

4. Importance

- ✓ Ensures fair trial
  - ✓ Prevents arbitrary decisions
  - ✓ Establishes uniform rules of proof
- 

◆ हिंदी में

I. भारत में संविदा (Contract) का कानून

भारत में संविदा का कानून भारतीय संविदा अधिनियम 1872 द्वारा नियंत्रित होता है।

संविदा की परिभाषा

कानून द्वारा लागू किया जाने वाला समझौता ही संविदा है।

---

वैध संविदा के आवश्यक तत्व

- ✓ प्रस्ताव और स्वीकृति
  - ✓ स्वतंत्र सहमति
  - ✓ वैध प्रतिफल
  - ✓ सक्षम पक्ष
  - ✓ वैध उद्देश्य
- 

II. भारत में साक्ष्य (Evidence) का कानून

भारत में साक्ष्य का कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा नियंत्रित होता है।

---

साक्ष्य के प्रकार

- ✓ मौखिक साक्ष्य
  - ✓ दस्तावेजी साक्ष्य
  - ✓ प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य
- 

मुख्य सिद्धांत

- ✓ जो दावा करता है, प्रमाण उसी पर
  - ✓ केवल प्रासंगिक तथ्य ही सिद्ध किए जाएंगे
- 

◆ Conclusion (Exam Point)

The Indian Contract Act, 1872 governs agreements and commercial relations, while the Indian Evidence Act, 1872 regulates proof and procedure in courts. Together, they form the backbone of civil justice in India.

---

---

**Personal Laws of Hindus and Mohammedans**

◆ I. Personal Law of Hindus

■ In English

Hindu Personal Law governs matters relating to:

- Marriage
- Divorce
- Adoption
- Succession
- Guardianship
- Maintenance

Originally based on Smritis, Commentaries and Customs, Hindu law was later codified after independence.

Important Modern Statutes:

1. Hindu Marriage Act
2. Hindu Succession Act
3. Hindu Minority and Guardianship Act
4. Hindu Adoptions and Maintenance Act

---

Main Features

- ✓ Applies to Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs
- ✓ Marriage is a sacrament (now also contractual in nature)
- ✓ Monogamy compulsory
- ✓ Provision for divorce
- ✓ Equal property rights (amendment 2005 gave daughters equal coparcenary rights)

---

◆ II. Personal Law of Mohammedans

■ In English

Muslim Personal Law is mainly based on:

- Quran
- Hadis
- Ijma (Consensus)
- Qiyas (Analogy)

In India, it is governed by:

Muslim Personal Law (Shariat) Application Act

---

#### Main Features

- ✓ Marriage (Nikah) is a civil contract
- ✓ Polygamy permitted (up to four wives, subject to conditions)
- ✓ Mahr (Dower) is essential
- ✓ Divorce includes Talaq, Khula, Mubarat
- ✓ Inheritance rules fixed under Muslim law

Triple Talaq (Talaq-e-Biddat) was declared unconstitutional and later prohibited by law in 2019.

---

#### ◆ Key Differences (Exam Table)

Hindu Law	Muslim Law
Marriage is sacrament	Marriage is contract
Monogamy compulsory	Polygamy allowed
Codified in 1955-56	Based on Shariat Act 1937
Adoption legally recognized	No formal adoption (guardianship concept)
Equal inheritance (after amendment)	Fixed shares under Quran

---

#### ◆ हिंदी में

##### 1. हिंदू व्यक्तिगत कानून

हिंदू व्यक्तिगत कानून विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण-पोषण आदि को नियंत्रित करता है।

मुख्य अधिनियम:

- हिंदू विवाह अधिनियम 1955
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षक अधिनियम 1956

- हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956

विशेषताएँ:

- ✓ एक-पत्नी प्रथा
  - ✓ तलाक की व्यवस्था
  - ✓ पुत्री को समान संपत्ति अधिकार
- 

II. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून

मुस्लिम कानून कुरान और शरियत पर आधारित है।

मुख्य अधिनियम:

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अधिनियम 1937

विशेषताएँ:

- ✓ निकाह एक अनुबंध
  - ✓ मेहर आवश्यक
  - ✓ चार विवाह की अनुमति
  - ✓ निश्चित उत्तराधिकार नियम
- 

◆ Conclusion (Exam Point)

Personal laws in India reflect religious diversity. Hindu law is largely codified, while Muslim law is mainly based on religious texts and partially codified. Both systems continue under the constitutional framework of secularism.

---

---

\*\*\*\*\*=====\*\*\*\*\*

**constitutional history**

**Position of Native States and Development of the Doctrine of Paramountcy**

---

◆ In English

**1. Introduction**

Before British rule, India consisted of:

- British territories directly controlled by the East India Company
- Several **Native (Princely) States** ruled by Indian princes

These native states were not directly ruled by the British but were under British influence.

---

## 2. Position of Native States

Native States:

- ✓ Had internal autonomy
- ✓ Ruled by hereditary princes
- ✓ Maintained their own courts and administration
- ✓ Could not conduct foreign relations independently

Their external sovereignty was gradually taken over by the British.

---

## 3. Development of Doctrine of Paramountcy

### Meaning of Paramountcy

The Doctrine of Paramountcy means the **supreme authority of the British Crown over Indian princely states**.

The British claimed that they were the “paramount power” in India.

---

## 4. Stages of Development

### (1) Subsidiary Alliance System

Introduced by Lord Wellesley

- Native rulers had to accept British troops.
- Could not enter alliances without British consent.
- Paid subsidy to British.

This reduced their independence.

---

### (2) Doctrine of Lapse

Introduced by Lord Dalhousie

- If a ruler died without natural heir, state would annex to British territory.
- Adoption was not recognized for succession.

Examples: Jhansi, Satara, Nagpur.

### (3) After 1858 (Crown Rule)

Under the Government of India Act

- Power transferred from Company to British Crown.
- Doctrine of lapse was withdrawn.
- British Crown became the paramount power.

Native states continued but under British supervision.

---

### 5. Legal Position

- Native states were not fully sovereign.
- They had internal autonomy but no external sovereignty.
- British could interfere in case of misgovernment.

Paramountcy was not defined in law; it was based on political practice.

---

### 6. End of Paramountcy

Under the Indian Independence Act

- Paramountcy lapsed.
- Princely states became legally independent.
- They were given option to join India or Pakistan.

Most states acceded to India under Sardar Patel's leadership.

---

## ◆ हिंदी में

### 1. देशी रियासतों की स्थिति

भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे:

- ब्रिटिश क्षेत्र
- देशी रियासतें

देशी रियासतों को आंतरिक स्वायत्तता थी, परंतु वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थीं।

---

## 2. परमाउंटसी का सिद्धांत

परमाउंटसी का अर्थ है – ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता देशी राज्यों पर।

---

## 3. विकास के चरण

### (1) सहायक संधि प्रणाली

लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ।

### (2) लैप्स का सिद्धांत

लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू।

### (3) 1858 के बाद

ब्रिटिश क्राउन सर्वोच्च सत्ता बना।

---

## 4. समाप्ति

1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत परमाउंटसी समाप्त हो गई।

देशी राज्यों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया।

---

### ◆ Exam Conclusion

The Doctrine of Paramountcy was a political principle through which the British exercised supreme authority over Indian princely states without formally annexing all of them. It ended in 1947 with the lapse of British authority.

---

---

### Development of Legislative Institutions in India

---

### ◆ In English

The development of legislative institutions in India passed through several stages during British rule and after independence.

---

### 1 Early Stage – Company Rule

(1) Regulating Act

- First time legislative power given to Governor-General and Council.
  - Beginning of central legislation.
- 

(2) Pitt's India Act

- Strengthened control of British Parliament.
  - Political control shifted to British Government.
- 

**2** Charter Acts – Expansion of Legislative Powers

(3) Charter Act

- Ended Company's trade monopoly (except tea & China trade).
- Recognized legislative powers of British Government.

(4) Charter Act

- Centralized legislative power.
- Governor-General of Bengal became Governor-General of India.
- Law Commission established.

(5) Charter Act

- Separated legislative and executive functions.
  - Introduced open competition for civil services.
- 

**3** Crown Rule – Beginning of Representation

(6) Indian Councils Act

- Introduced legislative councils.
- Indians nominated for the first time.

(7) Indian Councils Act

- Indirect election introduced.
- Increased number of members.

(8) Indian Councils Act

(Morley-Minto Reforms)

- Separate electorate for Muslims.
- Increased Indian representation.

#### 4 Responsible Government Stage

##### (9) Government of India Act

- Introduced Dyarchy in provinces.
- Bicameral legislature at Centre.

##### (10) Government of India Act

- Provincial autonomy.
  - Federal structure proposed.
  - Bicameralism expanded.
- 

#### 5 After Independence

##### (11) Indian Independence Act

- Legislative sovereignty transferred to Indian Constituent Assembly.

##### (12) Constitution of India (1950)

- Parliamentary system established.
  - Bicameral Parliament:
    - Lok Sabha
    - Rajya Sabha
- 

#### ◆ Conclusion (English)

The development of legislative institutions shows a gradual shift:

Company Control → Parliamentary Control → Limited Representation → Responsible Government → Full Democratic Legislature after 1950.

---

#### ◆ हिंदी में

भारत में विधायी संस्थाओं का विकास कई चरणों में हुआ।

---

#### 1 कंपनी शासन

- 1773 से विधायी शक्ति की शुरुआत।

## 2 चार्टर अधिनियम

- 1833 में केंद्रीयकरण।
  - 1853 में कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण।
- 

## 3 प्रतिनिधित्व का प्रारंभ

- 1861 में भारतीयों की नियुक्ति।
  - 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल।
- 

## 4 उत्तरदायी शासन

- 1919 में द्वैध शासन।
  - 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता।
- 

## 5 स्वतंत्रता के बाद

- 1950 में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना।
- 

### ◆ Exam Ready Line

The development of legislative institutions in India reflects a gradual evolution from autocratic colonial rule to a fully democratic parliamentary system under the Constitution of 1950.

---

---

### Indian Councils Act

---

### ◆ In English

#### 1. Background

After the Revolt of 1857 and the passing of the Government of India Act, the British Crown took direct control of India.

There was a need to associate Indians with legislation and restore confidence. Hence, the Indian Councils Act, 1861 was passed.

---

## 2. Objectives

- ✓ To expand legislative councils
  - ✓ To associate Indians in law-making
  - ✓ To decentralize legislative powers
- 

## 3. Main Provisions

### (1) Expansion of Governor-General's Council

- Legislative functions were restored.
  - Governor-General could nominate 6 to 12 additional members for legislative purposes.
  - Some of them could be Indians (first time Indians were included).
- 

### (2) Legislative Councils in Provinces

- Legislative councils were established in:
  - Bombay
  - Madras

Later extended to other provinces.

---

### (3) Decentralization of Powers

- Legislative powers restored to provinces.
  - Marked beginning of decentralization.
- 

### (4) Ordinance Power

- Governor-General empowered to issue ordinances in case of emergency.
  - Ordinance valid for 6 months.
- 

### (5) Portfolio System

- Introduced by Lord Canning.
  - Different departments assigned to different council members.
-

#### 4. Importance

- ✓ Beginning of representative institutions in India
  - ✓ Start of decentralization
  - ✓ Indians associated with law-making (though nominated)
- 

#### 5. Defects

- ✗ No real power to Indians
  - ✗ No discussion of budget
  - ✗ No right to ask questions
  - ✗ Members were nominated, not elected
- 

#### ◆ हिंदी में

##### 1. पृष्ठभूमि

1857 के विद्रोह और 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन संभाला। भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल करने के लिए 1861 का अधिनियम पारित किया गया।

---

##### 2. प्रमुख प्रावधान

###### (1) गवर्नर-जनरल की परिषद का विस्तार

- 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त।
- पहली बार भारतीय सदस्य नामित किए गए।

###### (2) प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना

- बॉम्बे और मद्रास में स्थापना।

###### (3) शक्तियों का विकेंद्रीकरण

###### (4) अध्यादेश जारी करने की शक्ति

###### (5) पोर्टफोलियो प्रणाली

### 3. महत्व

- ✓ प्रतिनिधि शासन की शुरुआत
  - ✓ विधायी विकेंद्रीकरण
  - ✓ भारतीयों की भागीदारी
- 

### 4. दोष

- ✗ वास्तविक शक्ति नहीं
  - ✗ चुनाव व्यवस्था नहीं
  - ✗ सीमित अधिकार
- 

#### ◆ Exam Conclusion

The Indian Councils Act, 1861 marked the beginning of legislative decentralization and limited Indian participation, but it did not introduce true representative government.

---

---

#### **Indian Councils Act (Also known as Morley–Minto Reforms)**

- ◆ In English

#### 1 Background

The Act of 1909 was passed during the tenure of:

- Lord Minto (Viceroy)
- John Morley (Secretary of State)

It was introduced due to:

- Growing Indian nationalism
  - Demand for political reforms
  - Pressure from Indian National Congress
- 

#### 2 Objectives

- ✓ Increase Indian participation in governance
- ✓ Expand legislative councils
- ✓ Introduce electoral system

### 3 Main Provisions

#### (1) Expansion of Legislative Councils

- Number of members increased at Central and Provincial levels.
  - Non-official members increased.
- 

#### (2) Introduction of Separate Electorates

👉 Most important feature.

- Muslims were given separate electorate.
- Muslims voted only for Muslim representatives.

This created communal representation.

---

#### (3) Right to Discuss Budget

- Members could discuss budget.
- Could ask supplementary questions.

But no power to vote on budget fully.

---

#### (4) Indians in Executive Council

- For the first time, Indians were appointed in Viceroy's Executive Council.

Example: S.P. Sinha became first Indian member.

---

### 4 Importance

- ✓ Beginning of electoral politics in India
  - ✓ Increased Indian participation
  - ✓ Foundation of communal politics
- 

### 5 Defects

- ✗ No responsible government
  - ✗ Separate electorate divided society
  - ✗ Real power remained with British
-

◆ हिंदी में

**1** पृष्ठभूमि

1909 का अधिनियम लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले के समय पारित हुआ। इसे मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहते हैं।

---

**2** प्रमुख प्रावधान

(1) विधान परिषदों का विस्तार

(2) पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate)

- मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र।

यह सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत थी।

---

(3) बजट पर चर्चा का अधिकार

(4) कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य

---

**3** महत्व

✓ चुनाव प्रणाली की शुरुआत

✓ भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि

✓ सांप्रदायिक आधार की राजनीति

---

**4** दोष

✗ उत्तरदायी शासन नहीं

✗ वास्तविक शक्ति ब्रिटिश के पास

---

◆ Exam Ready Conclusion

The Government of India Act, 1909 introduced limited electoral representation and separate electorates, marking the beginning of constitutional reforms but also laying the foundation for communal politics in India.

---

## Government of India Act (Also known as Montagu–Chelmsford Reforms)

### ◇ In English

#### 1 Background

The Act was based on the Montagu Declaration (1917) which promised gradual development of self-government in India.

It was introduced by:

- Edwin Montagu
- Lord Chelmsford

It was enacted after World War I to satisfy Indian political demands.

---

#### 2 Main Features

##### (1) Introduction of Dyarchy in Provinces

👉 Most important feature.

Provincial subjects were divided into:

##### (A) Reserved Subjects (controlled by Governor)

- Police
- Finance
- Law and Order

##### (B) Transferred Subjects (handled by Indian Ministers)

- Education
- Public Health
- Agriculture

This system was called Dyarchy (Dual Government).

---

##### (2) Bicameral Legislature at Centre

For the first time, central legislature became bicameral:

- Legislative Assembly (Lower House)
- Council of State (Upper House)

(3) Expansion of Legislative Councils

- Increased number of members.
  - More elected members introduced.
- 

(4) Separate Electorates Continued

Separate electorates extended to:

- Sikhs
  - Anglo-Indians
  - Europeans
- 

(5) Establishment of Public Service Commission

Provided for creation of Public Service Commission (established in 1926).

---

**3** Importance

- ✓ First attempt towards responsible government
  - ✓ Beginning of provincial autonomy
  - ✓ Introduced bicameralism at Centre
- 

**4** Defects

- ✗ Dyarchy failed in practice
  - ✗ Governor had overriding powers
  - ✗ No full responsible government
  - ✗ Separate electorates increased communalism
- 

♦ हिंदी में

**1** पृष्ठभूमि

1917 की मॉटेग्यू घोषणा के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की मांग को शांत करने के लिए इसे लागू किया गया।

---

## 2 प्रमुख प्रावधान

(1) द्वैध शासन (Dyarchy)

प्रांतीय विषय दो भागों में बाँटे गए:

- ✓ आरक्षित विषय - गवर्नर के अधीन
  - ✓ हस्तांतरित विषय - भारतीय मंत्रियों के अधीन
- 

(2) केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल

- विधानसभा
  - राज्य परिषद
- 

(3) निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई

---

(4) पृथक निर्वाचन का विस्तार

---

(5) लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान

---

## 3 महत्व

- ✓ उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला कदम
  - ✓ प्रांतीय स्तर पर भारतीय भागीदारी
- 

## 4 दोष

- ✗ द्वैध शासन असफल रहा
- ✗ वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास
- ✗ सांप्रदायिक आधार मजबूत

◆ **Exam Ready Conclusion**

The Government of India Act, 1919 was a significant constitutional reform introducing Dyarchy and limited self-government, but it failed to satisfy Indian aspirations for full responsible government.

---

 **Government of India Act, 1935**

The Government of India Act 1935 was the most comprehensive and lengthy constitutional enactment passed by the British Parliament for India before independence. It became the foundation of many provisions of the present Indian Constitution.

---

◆ **In English**

**1. Background**

- **Simon Commission Report (1927)**
- **Round Table Conferences (1930–32)**
- **White Paper (1933)**
- **Joint Select Committee Report**

**This Act replaced the Government of India Act 1919.**

---

**2. Main Features**

**(1) All-India Federation**

- **Proposed a federation consisting of:**
  - **British Indian Provinces**
  - **Princely States**
- **Federation never came into force because princely states did not join.**

**(2) Provincial Autonomy**

- **Dyarchy abolished in provinces.**
- **Provinces were given autonomous status.**
- **Governors acted on advice of ministers.**

**(3) Dyarchy at the Centre**

- **Introduced at the Centre.**
- **Federal subjects divided into:**
  - **Reserved subjects (Governor-General)**

- Transferred subjects (Ministers)

#### (4) Bicameral Legislature

- At the Centre:
  - Council of States
  - Federal Assembly

#### (5) Federal Court

- Established the Federal Court of India in 1937.
- It later became the basis of the Supreme Court of India.

#### (6) Separate Electorates

- Continued communal representation.

#### (7) Division of Powers

Three Lists introduced:

- Federal List
- Provincial List
- Concurrent List

---

### 3. Significance

- Blueprint of Indian Constitution.
- Basis of federal structure.
- Provincial autonomy introduced responsible government at provincial level.

### 4. Defects

- No real responsible government at Centre.
- Governor-General had vast powers.
- Federation never implemented.

---

### ◆ हिंदी में

भारत शासन अधिनियम, 1935

भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे विस्तृत संवैधानिक कानून था। यह आधुनिक भारतीय संविधान की आधारशिला बना।

## 1. पृष्ठभूमि

- साइमन कमीशन (1927)
- गोलमेज सम्मेलन (1930-32)
- श्वेत पत्र (1933)

यह अधिनियम 1919 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है।

---

## 2. मुख्य विशेषताएँ

### (1) अखिल भारतीय संघ

- ब्रिटिश प्रांत + देशी रियासतें
- परंतु संघ लागू नहीं हो सका।

### (2) प्रांतीय स्वायत्तता

- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त।
- मंत्रियों को वास्तविक शक्ति दी गई।

### (3) केंद्र में द्वैध शासन

- आरक्षित एवं स्थानांतरित विषय।

### (4) द्विसदनीय विधानमंडल

- राज्य परिषद
- संघीय सभा

### (5) संघीय न्यायालय

- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना।

- यही आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना।

#### (6) शक्तियों का विभाजन

- संघ सूची
  - प्रांतीय सूची
  - समवर्ती सूची
- 

#### 3. महत्व

- भारतीय संविधान की नींव।
- संघीय व्यवस्था की शुरुआत।
- प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शासन।

#### 4. दोष

- केंद्र में उत्तरदायी शासन नहीं।
  - गवर्नर-जनरल की अत्यधिक शक्तियाँ।
  - संघ योजना असफल रही।
- 
- 

#### Indian Independence Act, 1947

The Indian Independence Act 1947 was passed by the British Parliament on 18 July 1947. It ended British rule in India and created two independent Dominions — India and Pakistan — effective from 15 August 1947.

---

- ◆ In English

#### 1. Background

- Failure of the Cabinet Mission Plan (1946)
- Communal riots and political deadlock
- Announcement of the Mountbatten Plan (3 June 1947)

The Act was based on the plan of Lord Mountbatten, the last Viceroy of India.

---

## 2. Main Provisions

### (1) Partition of India

- Creation of two independent Dominions:
  - India
  - Pakistan

### (2) End of British Sovereignty

- British Crown's authority over India ended.
- The office of Secretary of State for India was abolished.

### (3) Governor-General

- Each Dominion to have a Governor-General appointed by the King.
- He acted as constitutional head.

### (4) Legislative Sovereignty

- Constituent Assemblies became fully sovereign bodies.
- They had power to frame their own Constitutions.

### (5) Lapse of Paramountcy

- British suzerainty over Princely States ended.
- States were free to join India or Pakistan.

### (6) Abolition of the Office of Emperor of India

- The title of Emperor of India was removed.
- 

## 3. Importance

- India became an independent nation on 15 August 1947.
  - Beginning of constitutional governance by Indians.
  - Foundation for the Constitution of India (1950).
- 

## 4. Defects

- Immediate partition caused communal violence.
- Boundary disputes (Radcliffe Award).
- Mass migration and loss of lives.

◆ हिंदी में

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए।

---

1. पृष्ठभूमि

- कैबिनेट मिशन योजना की असफलता
  - सांप्रदायिक दंगे
  - 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना
- 

2. प्रमुख प्रावधान

(1) भारत का विभाजन

- भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने।

(2) ब्रिटिश शासन का अंत

- ब्रिटिश क्राउन की सत्ता समाप्त।
- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त।

(3) गवर्नर-जनरल

- प्रत्येक डोमिनियन में गवर्नर-जनरल।

(4) विधायी संप्रभुता

- संविधान सभा को पूर्ण अधिकार।

(5) अधिराज्य (Paramountcy) का अंत

- देशी रियासतें स्वतंत्र हुईं।
  - भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प।
- 

3. महत्व

- 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
  - भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त।
- 

 **The Story of Framing of the Indian Constitution**

---

◆ In English

The Constitution of India is the result of long struggle, debates, and visionary leadership. It reflects the aspirations of the Indian freedom movement.

---

1. Demand for a Constituent Assembly

- In 1934, M. N. Roy first proposed the idea of a Constituent Assembly.
  - In 1935, the Indian National Congress officially demanded it.
  - The demand was accepted under the Cabinet Mission Plan, 1946.
- 

2. Cabinet Mission Plan (1946)

The British Government sent a mission in 1946 to transfer power. It proposed the formation of a Constituent Assembly.

---

3. Formation of Constituent Assembly

- Elections were held in July 1946.
- Total members: 389
  - 296 from British India
  - 93 from Princely States
- First meeting: 9 December 1946.

- Temporary Chairman: Sachchidananda Sinha
  - Permanent President: Rajendra Prasad
- 

#### 4. Objective Resolution

On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru moved the Objective Resolution. It later became the basis of the Preamble.

---

#### 5. Drafting Committee

- Formed on 29 August 1947.
  - Chairman: B. R. Ambedkar
  - Other important members: Alladi Krishnaswami Ayyar, K.M. Munshi, etc.
- 

#### 6. Sources of the Constitution

The Constitution borrowed features from:

- UK – Parliamentary system
  - USA – Fundamental Rights
  - Ireland – Directive Principles
  - Canada – Federal system
  - Australia – Concurrent List
- 

#### 7. Adoption of the Constitution

- Draft Constitution presented in November 1948.
- Adopted on 26 November 1949.
- Came into force on 26 January 1950.

India became a Republic on that day.

---

#### 8. Time Taken

- 2 years, 11 months, 18 days
  - 11 sessions
  - 166 days of debate
-

## 9. Significance

- Longest written Constitution.
  - Democratic, federal, secular framework.
  - Ensures Fundamental Rights and Justice.
- 

### ◆ हिंदी में

## भारतीय संविधान निर्माण की कहानी

भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम की दीर्घ प्रक्रिया और महान नेताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है।

---

### 1. संविधान सभा की मांग

- 1934 में एम. एन. राय ने संविधान सभा का विचार दिया।
  - 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई।
- 

### 2. संविधान सभा का गठन

- जुलाई 1946 में चुनाव हुए।
  - कुल सदस्य: 389
  - पहली बैठक: 9 दिसम्बर 1946
  - अस्थायी अध्यक्ष: सच्चिदानंद सिन्हा
  - स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- 

### 3. उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

यही आगे चलकर प्रस्तावना (Preamble) का आधार बना।

#### 4. प्रारूप समिति

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ।

अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अम्बेडकर।

---

#### 5. संविधान का अंगीकरण

- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत।
  - 26 जनवरी 1950 को लागू।
- 

#### 6. महत्व

- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान।
  - लोकतांत्रिक एवं संघीय व्यवस्था।
  - मौलिक अधिकारों की गारंटी।
- 

### **Story of Framing of the Indian Constitution** (20 Marks – Exam Oriented Answer)

---

- ◆ In English (Long Answer)

#### Introduction

The Constitution of India is the result of a long freedom struggle and careful deliberation by national leaders. It represents the ideals of justice, liberty, equality and fraternity.

---

#### Demand for a Constituent Assembly

The idea of a Constituent Assembly was first proposed by M. N. Roy in 1934. Later, the Indian National Congress officially demanded it. The British Government accepted this demand under the Cabinet Mission Plan of 1946.

---

#### Formation of the Constituent Assembly

- Elections were held in July 1946.
- Total members: 389
  - 296 from British India
  - 93 from Princely States

The first meeting was held on 9 December 1946.

Temporary Chairman: Sachchidananda Sinha

Permanent President: Rajendra Prasad

---

### Objective Resolution

On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru moved the Objective Resolution, which laid down the philosophy of the Constitution. It later became the Preamble.

---

### Drafting Committee

On 29 August 1947, the Drafting Committee was formed.

Chairman: B. R. Ambedkar

Dr. Ambedkar is known as the “Father of the Indian Constitution.”

---

### Sources of the Constitution

The Constitution borrowed features from many countries:

- UK – Parliamentary system
  - USA – Fundamental Rights
  - Ireland – Directive Principles
  - Canada – Federal system
  - Australia – Concurrent List
- 

### Adoption and Enforcement

- Draft Constitution introduced: November 1948
- Adopted: 26 November 1949
- Enforced: 26 January 1950

India became a Republic on 26 January 1950.

---

### Time Taken

- 2 years, 11 months, 18 days
  - 11 sessions
  - 166 days of debates
- 

#### Conclusion

The framing of the Constitution was a historic achievement. It established India as a sovereign, democratic republic and ensured justice, liberty and equality to all citizens.

---

- ◆ हिंदी में (20 अंकों का उत्तर)

#### प्रस्तावना

भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम की लंबी प्रक्रिया और राष्ट्रनायकों के विचार-विमर्श का परिणाम है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों पर आधारित है।

---

#### संविधान सभा की मांग

1934 में एम. एन. राय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना हुई।

---

#### संविधान सभा का गठन

- जुलाई 1946 में चुनाव
- कुल सदस्य: 389

पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946

अस्थायी अध्यक्ष: सच्चिदानंद सिन्हा

स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

---

#### उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना।

---

### प्रारूप समिति

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ।

अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अम्बेडकर

उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है।

---

### संविधान का अंगीकरण

- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत
  - 26 जनवरी 1950 को लागू
- 

### निष्कर्ष

भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए।

---

### Salient Features of the Indian Constitution (20 Marks – Exam Oriented Answer

---

- ◆ In English

#### Introduction

The Constitution of India is the supreme law of the land. It is one of the lengthiest and most detailed constitutions in the world. It came into force on 26 January 1950.

---

#### 1. Lengthiest Written Constitution

Originally, it contained:

- 395 Articles

- 8 Schedules

It is a very detailed document covering administrative, legislative and judicial matters.

---

## 2. Written and Detailed Constitution

Unlike the British Constitution, the Indian Constitution is written and systematically arranged.

---

## 3. Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic

The Preamble declares India as:

- Sovereign
  - Socialist
  - Secular
  - Democratic
  - Republic
- 

## 4. Federal System with Unitary Bias

India has a federal structure with:

- Division of powers (Union, State, Concurrent Lists)
  - Strong Centre during emergencies
- 

## 5. Parliamentary Form of Government

Adopted from the UK:

- President is nominal head.
  - Real executive power lies with Council of Ministers headed by the Prime Minister.
- 

## 6. Fundamental Rights

Part III guarantees Fundamental Rights such as:

- Right to Equality
- Right to Freedom
- Right against Exploitation
- Right to Religion
- Cultural and Educational Rights

- Right to Constitutional Remedies
- 

#### 7. Directive Principles of State Policy

Part IV contains Directive Principles inspired by Ireland. They aim at establishing social and economic democracy.

---

#### 8. Independent Judiciary

The Constitution establishes an independent judiciary headed by the Supreme Court of India. Judicial review is one of its important features.

---

#### 9. Single Citizenship

Unlike the USA, India provides single citizenship.

---

#### 10. Universal Adult Franchise

Every citizen above 18 years has the right to vote.

---

#### 11. Emergency Provisions

Three types of emergencies:

- National Emergency
  - State Emergency
  - Financial Emergency
- 

#### 12. Rigid and Flexible Constitution

It is partly rigid and partly flexible.

---

#### Conclusion

The Indian Constitution is a unique blend of rigidity and flexibility, federalism and unitary features, rights and duties. It ensures justice, liberty, equality and fraternity for all citizens.

---

- ◆ हिंदी में (20 अंकों का उत्तर)

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

## प्रस्तावना

भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।

---

### 1. विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान

मूल रूप से इसमें:

- 395 अनुच्छेद
  - 8 अनुसूचियाँ
- 

### 2. संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य

प्रस्तावना में भारत को इन शब्दों से परिभाषित किया गया है।

---

### 3. संघीय व्यवस्था (केंद्रीय झुकाव के साथ)

- संघ सूची
  - राज्य सूची
  - समवर्ती सूची
  - आपातकाल में केंद्र मजबूत
- 

### 4. संसदीय शासन प्रणाली

- राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख
  - वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास
- 

### 5. मौलिक अधिकार

भाग III में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं।

---

6. राज्य के नीति निदेशक तत्व

भाग IV में सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्य।

---

7. स्वतंत्र न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका।

---

8. एकल नागरिकता

भारत में केवल एक नागरिकता है।

---

9. वयस्क मताधिकार

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार।

---

10. आपातकालीन प्रावधान

राष्ट्रीय, राज्य और वितीय आपातकाल।

---

निष्कर्ष

भारतीय संविधान लोकतंत्र, समानता और न्याय का आधार है। यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।

---

---

=====\*\*\*\*\*=====\*\*\*\*\*=====

**PAPER – V**

**INDIAN LEGAL AND CONSTITUTIONAL HISTORY**

**(Paper Code: BL – 3005)**

This course is intended to introduce students to the Legal and Constitutional History of India (1600–1950). Emphasis will be laid on the following:

---

**I. Legal History**

1. The Early Charters and the Administration of Justice by the East India Company
2. Mayor's Courts
3. Judicial Reforms of Warren Hastings and the Advent of Adalat System
4. The Regulating Act

5. Pitt's India Act
  6. The Act of Settlement
  7. Judicial Reforms of Cornwallis and Lord William Bentinck
  8. The High Courts
  9. Privy Council
  10. The Supreme Court of India
  11. The Law Commissions and Codification
  12. Development of Criminal Law in India
  13. Law of Contract in India
  14. Law of Evidence in India
  15. Personal Laws of Hindus and Mohammedans
- 

## **II. Constitutional History**

1. Position of Native States and the development of the Doctrine of Paramountcy
  2. Development of Legislative Institutions
  3. Indian Councils Act, 1861
  4. Government of India Act, 1909
  5. Government of India Act, 1919
  6. Government of India Act, 1935
  7. Independence Act, 1947
  8. The Story of Framing of Indian Constitution
- 

## **Books Recommended**

1. Jain, M.P. – *Outlines of Indian Legal History*
  2. Kulshrestha, V.D. – *Landmarks in Indian Legal and Constitutional History*
  3. Pranjpe, N.V. – *Legal and Constitutional History of India*
  4. Puri, S.K. – *Legal and Constitutional History of India*
  5. Ramaiya, M. – *Legal and Constitutional History of India, Vol. I & II*
  6. Shilwant, S.S. – *Turning Points in Indian Legal and Constitutional History*
  7. Singh, M.P. – *Outlines of Indian Legal and Constitutional History*
-

पेपर – v

## भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास

(Paper Code: BL – 3005)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत के विधिक एवं संवैधानिक इतिहास (1600–1950) से परिचित कराना है। मुख्य रूप से निम्न विषयों पर बल दिया जाएगा:

---

### I. विधिक इतिहास (Legal History)

1. प्रारंभिक चार्टर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा न्याय प्रशासन
2. मेयर न्यायालय (Mayor's Courts)
3. वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार तथा अदालती व्यवस्था (Adalat System) का प्रारंभ
4. रेगुलेटिंग एक्ट
5. पिट्स इंडिया एक्ट
6. एक्ट ऑफ सेटलमेंट
7. लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के न्यायिक सुधार
8. उच्च न्यायालय (High Courts)
9. प्रिवी काउंसिल (Privy Council)
10. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
11. विधि आयोग एवं संहिताकरण (Codification)
12. भारत में दंड विधि का विकास
13. भारत में संविदा (Contract) विधि का विकास
14. भारत में साक्ष्य विधि का विकास

15. हिंदू एवं मुस्लिम (मोहम्मडन) व्यक्तिगत विधि

---

**II. संवैधानिक इतिहास (Constitutional History)**

1. देशी रियासतों की स्थिति एवं अधिराज्य (Doctrine of Paramountcy) का विकास
  2. विधायी संस्थाओं का विकास
  3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  4. भारत शासन अधिनियम, 1909
  5. भारत शासन अधिनियम, 1919
  6. भारत शासन अधिनियम, 1935
  7. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
  8. भारतीय संविधान निर्माण की कहानी
- 

**सुझावित पुस्तकें (Books Recommended)**

1. एम.पी. जैन - *भारतीय विधिक इतिहास की रूपरेखा*
  2. वी.डी. कुलश्रेष्ठ - *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के प्रमुख मील के पत्थर*
  3. एन.वी. प्रांजपे - *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास*
  4. एस.के. पुरी - *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास*
  5. एम. रामैय्या - *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास (भाग I एवं II)*
  6. एस.एस. शिलवंत - *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़*
  7. एम.पी. सिंह - *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास की रूपरेखा*
-

यह रहे LLB द्वितीय सेमेस्टर – भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के यूनिट-वाइज विस्तृत नोट्स (संक्षिप्त लेकिन परीक्षा-उपयोगी शैली में):

---

✓ UNIT – I : विधिक इतिहास (1600–1858)

1. प्रारंभिक चार्टर (Early Charters)

- 1600 का चार्टर – East India Company को व्यापार का एकाधिकार।
  - 1661 का चार्टर – कंपनी को दीवानी व फौजदारी न्याय देने का अधिकार।
  - 1726 का चार्टर – मद्रास, बंबई, कलकत्ता में मेयर न्यायालय की स्थापना।
- 

2. मेयर न्यायालय (Mayor's Courts – 1726)

- अध्यक्ष: मेयर + 9 एल्डरमैन
  - अंग्रेजी कानून का प्रयोग
  - अपील – गवर्नर इन काउंसिल
- 

3. वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार (1772, 1774)

- दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना
  - जिला स्तर पर दीवानी अदालत
  - हिंदुओं पर हिंदू कानून, मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू
- 

4. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

- गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया
- Supreme Court of Calcutta की स्थापना

- कंपनी पर संसद का नियंत्रण शुरू
- 

#### 5. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

- कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का दोहरा नियंत्रण
  - बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना
- 

#### 6. कॉर्नवालिस सुधार (1793)

- न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक
  - सिविल सेवा में ईमानदारी व वेतन सुधार
- 

#### 7. लॉ कमीशन एवं संहिताकरण

- प्रथम विधि आयोग (1834) – अध्यक्ष: Lord Macaulay
  - Indian Penal Code (1860)
  - Indian Evidence Act
  - Indian Contract Act
- 

### ✓ UNIT – II : न्यायिक संस्थाओं का विकास

#### 1. उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861

- कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित
- सदर अदालत समाप्त

#### 2. प्रिवी काउंसिल

- लंदन में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय
- 1949 में समाप्त

### 3. भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- 1950 में स्थापना
  - संविधान का संरक्षक
- 

#### ✔ UNIT – III : संवैधानिक विकास (1858–1919)

##### 1. भारत शासन अधिनियम, 1858

- कंपनी शासन समाप्त
- सत्ता ब्रिटिश क्राउन को

##### 2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

- विधायी परिषद का गठन

##### 3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

- पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate)

##### 4. भारत शासन अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

- द्वैध शासन (Dyarchy)
- 

#### ✔ UNIT – IV : संवैधानिक विकास (1935–1950)

##### 1. भारत शासन अधिनियम, 1935

- संघीय ढांचा
- प्रांतीय स्वायत्तता
- संघीय न्यायालय

##### 2. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- भारत व पाकिस्तान दो राष्ट्र बने
- ब्रिटिश शासन समाप्त

### 3. संविधान निर्माण

- संविधान सभा गठन – 1946
- अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- प्रारूप समिति अध्यक्ष: डॉ. भीमराव आंबेडकर
- 26 नवम्बर 1949 – संविधान अंगीकृत
- 26 जनवरी 1950 – लागू

---

### 🔥 परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषय

- रेगुलेटिंग एक्ट 1773
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784
- 1861, 1909, 1919, 1935 अधिनियमों की तुलना
- संहिताकरण का महत्व
- द्वैध शासन (Dyarchy)

---

यह रहे LLB द्वितीय सेमेस्टर – भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 20 अंकों के उत्तर (परीक्षा-उपयोगी, विस्तारपूर्वक):

---

- ✓ 1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का विस्तृत वर्णन (20 अंक)

प्रस्तावना

ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेशन एक्ट पारित किया। यह भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम महत्वपूर्ण कदम था।

### प्रमुख प्रावधान

1. बंगाल के गवर्नर को **गवर्नर जनरल** बनाया गया (वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल)।
2. चार सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना।
3. Supreme Court of Calcutta की स्थापना (1774)।
4. मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन किया गया।
5. कंपनी के निदेशकों के कार्यकाल को 4 वर्ष किया गया।

### महत्व

- ब्रिटिश संसद का कंपनी पर प्रथम नियंत्रण।
- केंद्रीय प्रशासन की नींव।
- न्यायिक प्रणाली का विकास।

### दोष

- गवर्नर जनरल और परिषद में मतभेद।
- सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच अधिकार क्षेत्र विवाद।

### निष्कर्ष

यह अधिनियम भारतीय प्रशासनिक एवं संवैधानिक इतिहास की आधारशिला माना जाता है।

---

✅ 2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (20 अंक)

## प्रस्तावना

रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के प्रयास से यह अधिनियम पारित हुआ।

## प्रमुख प्रावधान

1. द्वैध शासन प्रणाली (Dual Control) की स्थापना।
2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना।
3. कंपनी का व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग।

## महत्व

- ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित।
- कंपनी की राजनीतिक शक्ति सीमित।

## निष्कर्ष

यह अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के प्रभाव को मजबूत करने वाला था।

---

### ✓ 3. भारत शासन अधिनियम, 1919 (20 अंक)

## प्रस्तावना

मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर पारित।

## मुख्य प्रावधान

1. प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy)।
2. विषयों का विभाजन - आरक्षित एवं स्थानांतरित।
3. केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल।
4. मताधिकार का सीमित विस्तार।

## दोष

- वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास।
- भारतीयों को सीमित अधिकार।

## महत्व

- उत्तरदायी शासन की दिशा में कदम।

---

### ✓ 4. भारत शासन अधिनियम, 1935 (20 अंक)

## प्रस्तावना

सबसे विस्तृत अधिनियम, जिसने भारतीय संविधान की आधारशिला रखी।

## प्रमुख विशेषताएँ

1. संघीय ढांचे की स्थापना।
2. प्रांतीय स्वायत्तता।
3. संघीय न्यायालय की स्थापना।
4. पृथक निर्वाचक मंडल जारी।

## महत्व

- भारतीय संविधान के कई प्रावधान इसी से लिए गए।

## निष्कर्ष

यह अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत बना।

---

### ✓ 5. संहिताकरण (Codification) का महत्व (20 अंक)

## प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन ने भारतीय कानूनों को व्यवस्थित रूप में संहिताबद्ध किया।

### प्रमुख संहिताएँ

- Indian Penal Code
- Indian Evidence Act
- Indian Contract Act

### लाभ

- कानूनों में एकरूपता
- न्याय में स्पष्टता
- न्यायिक भ्रम की समाप्ति

### निष्कर्ष

संहिताकरण ने आधुनिक भारतीय विधि व्यवस्था की मजबूत नींव रखी।

---

यह रहे LLB द्वितीय सेमेस्टर – भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण 20 अंकों के संभावित प्रश्न (परीक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण):

---

#### ✔ UNIT – I (विधिक इतिहास)

1. प्रारंभिक चार्टर (1600, 1661, 1726) का वर्णन कीजिए तथा इनके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

यह रहा आपका 20 अंकों का पूर्ण, परीक्षा-उपयोगी उत्तर:

---

- ✔ प्रारंभिक चार्टर (1600, 1661, 1726) का वर्णन एवं उनके प्रभाव की विवेचना (20 अंक)

प्रस्तावना

भारत में ब्रिटिश शासन की विधिक एवं प्रशासनिक नींव प्रारंभिक चार्टरों के माध्यम से पड़ी। ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदत्त इन चार्टरों ने East India Company को व्यापारिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए। 1600, 1661 और 1726 के चार्टर भारतीय विधिक इतिहास के महत्वपूर्ण चरण हैं।

---

### 1. 1600 का चार्टर

- 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार का **एकाधिकार (Monopoly)** प्रदान किया।
- कंपनी को निगम (Corporation) का दर्जा मिला।
- गवर्नर और 24 निदेशकों की व्यवस्था।
- सीमित न्यायिक अधिकार प्रदान।

#### प्रभाव

- भारत में ब्रिटिश व्यापार की औपचारिक शुरुआत।
  - कंपनी को कानूनी अस्तित्व प्राप्त हुआ।
  - भविष्य के राजनीतिक विस्तार की आधारशिला रखी गई।
- 

### 2. 1661 का चार्टर

- यह चार्टर किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया।
- कंपनी को युद्ध और संधि करने का अधिकार।
- दीवानी और फौजदारी न्याय देने का अधिकार।
- अधिकारियों को कानून बनाने की शक्ति।

#### प्रभाव

- कंपनी की शक्ति केवल व्यापारिक न रहकर राजनीतिक और प्रशासनिक भी हो गई।
  - भारत में अंग्रेजी कानून के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  - कंपनी एक अर्ध-सरकारी संस्था के रूप में उभरी।
- 

### 3. 1726 का चार्टर

- मद्रास, बंबई और कलकत्ता में **मेयर न्यायालय** (Mayor's Courts) की स्थापना।
- प्रत्येक नगर में एक मेयर और 9 एल्डरमैन।
- अंग्रेजी विधि लागू की गई।
- अपील गवर्नर-इन-काउंसिल के पास।

### प्रभाव

- भारत में संगठित न्यायिक प्रणाली की शुरुआत।
  - पहली बार एक नियमित सिविल कोर्ट की स्थापना।
  - अंग्रेजी कानून का औपचारिक प्रवर्तन।
  - आगे चलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
- 

### समालोचनात्मक विवेचना

#### सकारात्मक प्रभाव

- ✓ कंपनी को कानूनी और प्रशासनिक संरचना मिली।
- ✓ न्यायिक संस्थाओं का प्रारंभिक विकास।
- ✓ ब्रिटिश संसद के भविष्य के नियंत्रण की नींव।

## नकारात्मक प्रभाव

- ✗ भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी नहीं।
- ✗ अंग्रेजी कानून का थोपना।
- ✗ व्यापार के माध्यम से राजनीतिक शोषण का मार्ग खुला।

---

## निष्कर्ष

प्रारंभिक चार्टरों ने भारत में ब्रिटिश विधिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। 1600 ने व्यापार की शुरुआत की, 1661 ने राजनीतिक और न्यायिक अधिकार दिए, तथा 1726 ने संगठित न्यायिक प्रणाली की स्थापना की। ये चार्टर आगे चलकर ब्रिटिश शासन के पूर्ण विस्तार और भारतीय संवैधानिक विकास की आधारशिला सिद्ध हुए।

---

## 2. मेयर न्यायालय (Mayor's Courts) की स्थापना, संरचना एवं दोषों का वर्णन कीजिए।

- ✓ **मेयर न्यायालय (Mayor's Courts) की स्थापना, संरचना एवं दोष (20 अंक)**

### प्रस्तावना

भारत में संगठित न्यायिक व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1726 के चार्टर से हुई। इस चार्टर के अंतर्गत East India Company को मद्रास, बंबई और कलकत्ता में मेयर न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिला। यह भारत में अंग्रेजी विधि के व्यवस्थित प्रवेश का प्रारंभिक चरण था।

---

### 1. स्थापना (Establishment)

- 1726 के चार्टर द्वारा तीन प्रेसिडेंसी नगरों — मद्रास, बंबई और कलकत्ता — में मेयर न्यायालय स्थापित किए गए।

- इससे पूर्व 1687 में मद्रास में एक मेयर न्यायालय स्थापित हुआ था, परंतु 1726 का चार्टर अधिक संगठित एवं प्रभावी था।
- यह चार्टर ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किया गया था।

### **उद्देश्य**

- व्यापारिक विवादों का निपटारा।
  - अंग्रेज प्रजा के लिए नियमित न्यायिक व्यवस्था।
  - प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना।
- 

### **2. संरचना (Composition)**

- प्रत्येक न्यायालय में:
  - 1 मेयर (Mayor)
  - 9 एल्डरमैन (Aldermen)
- मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष।
- एल्डरमैन आजीवन नियुक्ति (जब तक पद से हटाए न जाएँ)।
- अपील गवर्नर-इन-काउंसिल के पास जाती थी।
- अंतिम अपील इंग्लैंड में किंग-इन-काउंसिल (Privy Council) में।

### **अधिकार क्षेत्र**

- मुख्यतः सिविल मामलों की सुनवाई।
  - अंग्रेजी कानून लागू।
  - कुछ सीमित आपराधिक अधिकार।
-

### 3. अधिकार एवं कार्य

- संपत्ति, व्यापारिक अनुबंध और ऋण संबंधी मामलों का निपटारा।
  - वसीयत (Probate) और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार।
  - नगर निगम संबंधी कार्यों का निर्वहन।
- 

### 4. दोष (Defects)

#### 1. भारतीयों की उपेक्षा

- न्यायालय में अधिकांश सदस्य अंग्रेज थे।
- भारतीयों की भागीदारी नगण्य।

#### 2. अंग्रेजी कानून का थोपना

- भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की अनदेखी।

#### 3. अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र

- गवर्नर और न्यायालय के बीच टकराव।

#### 4. पक्षपातपूर्ण व्यवस्था

- अंग्रेजों को प्राथमिकता।
- न्याय में समानता का अभाव।

#### 5. प्रशासनिक हस्तक्षेप

- न्यायिक स्वतंत्रता पूर्णतः सुनिश्चित नहीं थी।
- 

### महत्व (Significance)

- ✓ भारत में नियमित सिविल न्यायालय की स्थापना।
- ✓ अंग्रेजी न्याय प्रणाली का प्रवेश।

- ✓ आगे चलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट एवं 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
  - ✓ न्यायिक संरचना के विकास की आधारशिला।
- 

### निष्कर्ष

मेयर न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था के विकास का प्रारंभिक चरण था। यद्यपि इसमें अनेक दोष थे, फिर भी इसने भारत में संगठित न्यायिक प्रणाली की नींव रखी और भविष्य की उच्च न्यायिक संस्थाओं के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

---

### 3. वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए

यह रहा आपका 20 अंकों का पूर्ण, परीक्षा-उपयोगी उत्तर:

---

- ✓ वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों का समालोचनात्मक अध्ययन (20 अंक)

### प्रस्तावना

Warren Hastings भारत के प्रथम गवर्नर जनरल (1774) थे। उन्होंने 1772, 1774 और 1780 में महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार किए। उनके सुधारों का उद्देश्य कंपनी के प्रशासन को सुदृढ़ करना तथा न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। इन्हीं सुधारों से भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की नींव पड़ी।

---

### 1. 1772 की न्याय योजना (Judicial Plan of 1772)

#### (A) दीवानी न्याय व्यवस्था

- प्रत्येक जिले में **दीवानी अदालत** की स्थापना।
- अध्यक्ष - कलेक्टर।
- दीवानी मामलों (राजस्व, संपत्ति, अनुबंध) की सुनवाई।
- अपील के लिए **सदर दीवानी अदालत** (कलकत्ता में)।

#### (B) फौजदारी न्याय व्यवस्था

- प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत।
- अध्यक्ष - काज़ी एवं मौलवी।
- अंतिम अपील - **सदर निजामत अदालत**।

#### (C) व्यक्तिगत कानून

- हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून।
- मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू।

---

### 2. 1774 की योजना

- दीवानी अदालतों की संरचना में परिवर्तन।
- कलकत्ता में 1774 में Supreme Court of Calcutta की स्थापना (रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत)।
- अंग्रेजी कानून का प्रवेश।

---

### 3. 1780 की सुधार योजना

- राजस्व और न्यायिक कार्यों का आंशिक पृथक्करण।
- अपील की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया।

- न्यायिक अधिकारियों के वेतन में सुधार।
- 

### सुधारों का महत्व

- ✓ दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना।
  - ✓ अपीलीय न्यायालय की व्यवस्था।
  - ✓ व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता।
  - ✓ न्यायिक संगठन की प्रारंभिक संरचना।
- 

### दोष (आलोचना)

1. कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण पूर्ण नहीं – कलेक्टर न्यायाधीश भी था।
  2. सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में टकराव।
  3. अंग्रेजी अधिकारियों का वर्चस्व।
  4. भारतीय जनता के हित गौण।
  5. प्रशासनिक भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ।
- 

### समालोचनात्मक मूल्यांकन

हेस्टिंग्स के सुधार प्रारंभिक और प्रयोगात्मक थे। उन्होंने भारतीय परंपरागत कानूनों को मान्यता दी, परंतु प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी के हाथों में रखा। उनकी न्याय व्यवस्था पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थी, फिर भी यह आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की आधारशिला सिद्ध हुई।

---

### निष्कर्ष

वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार भारतीय विधिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। यद्यपि इनमें कई कमियाँ थीं, फिर भी इन्होंने संगठित न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की और आगे चलकर कॉर्नवालिस तथा अन्य सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।

---

#### 4. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का विश्लेषण कीजिए

यह रहा आपका 20 अंकों का विस्तृत, विश्लेषणात्मक उत्तर (परीक्षा-उपयोगी शैली में):

---

#### ✓ रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का विश्लेषण (20 अंक)

##### प्रस्तावना

18वीं शताब्दी के मध्य में East India Company की राजनीतिक शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने (1765) के बाद कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और अव्यवस्था फैल गई। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन को नियंत्रित करने हेतु 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यह भारत के संवैधानिक इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम था।

---

##### अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

###### 1. गवर्नर जनरल और परिषद

- बंगाल के गवर्नर को **गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल** बनाया गया।
- चार सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना।
- निर्णय बहुमत से लिए जाने थे।

- वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने।

## 2. प्रेसीडेंसियों पर नियंत्रण

- मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन किया गया।
- युद्ध और संधि के मामलों में केंद्रीय नियंत्रण।

## 3. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना

- 1774 में Supreme Court of Calcutta की स्थापना।
- एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश।
- अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय।

## 4. कंपनी पर संसदीय नियंत्रण

- कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष।
- कंपनी को अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय विवरण ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य।

## 5. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

- कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने और निजी व्यापार से प्रतिबंधित किया गया।

---

## अधिनियम का महत्व

- ✓ कंपनी पर ब्रिटिश संसद का प्रथम प्रत्यक्ष नियंत्रण।
  - ✓ भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव।
  - ✓ न्यायिक संस्था (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना।
  - ✓ भविष्य के संवैधानिक विकास का आधार।
-

## दोष एवं आलोचना

1. गवर्नर जनरल और परिषद के बीच निरंतर मतभेद।
2. सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच अधिकार क्षेत्र का विवाद।
3. भारतीयों को शासन में कोई भागीदारी नहीं।
4. भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ।
5. अधिकारों की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित नहीं थीं।

---

## समालोचनात्मक मूल्यांकन

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुधार की दिशा में पहला गंभीर प्रयास था, परंतु यह प्रयोगात्मक और अपूर्ण था। इसने प्रशासनिक केंद्रीकरण तो किया, परंतु स्पष्ट शक्तियों के अभाव में कई संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न हुए। इसके दोषों को दूर करने के लिए बाद में 1781 का संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया।

---

## निष्कर्ष

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतीय संवैधानिक इतिहास की आधारशिला माना जाता है। यद्यपि इसमें अनेक कमियाँ थीं, फिर भी इसने ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत की और आधुनिक प्रशासनिक एवं न्यायिक ढाँचे की नींव रखी।

- 
5. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 की विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए

यह रहा आपका 20 अंकों का विस्तृत, परीक्षा-उपयोगी उत्तर:

---

✓ **पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 की विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना (20 अंक)**

**प्रस्तावना**

Pitt's India Act ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के प्रयासों से पारित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों तथा East India Company के प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु यह अधिनियम लाया गया। इसका उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था।

---

**अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ**

**1. द्वैध नियंत्रण (Dual System of Control)**

- कंपनी के प्रशासन पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया—
  1. कंपनी का Court of Directors (व्यापारिक कार्य)।
  2. ब्रिटिश सरकार का Board of Control (राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य)।

**2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना**

- इसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल।
- भारत की राजनीतिक नीतियों पर अंतिम नियंत्रण।

**3. गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि**

- गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसीडेंसियों पर अधिक नियंत्रण।
- युद्ध और संधि के मामलों में केंद्रीय निर्णय।

**4. कंपनी की राजनीतिक भूमिका सीमित**

- कंपनी का व्यापारिक स्वरूप बनाए रखा गया।
- राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में गया।

### 5. भारत को “ब्रिटिश अधीन क्षेत्र” के रूप में मान्यता

- पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

---

### अधिनियम का महत्व

- ✓ कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित।
- ✓ प्रशासनिक केंद्रीकरण मजबूत हुआ।
- ✓ 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर किया गया।
- ✓ भारत में क्राउन के प्रभुत्व की नींव रखी।
- ✓ भविष्य में 1858 के अधिनियम तक संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

---

### दोष

1. भारतीयों को शासन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं।
2. वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के हाथों में केंद्रित।
3. द्वैध नियंत्रण प्रणाली जटिल एवं भ्रमपूर्ण।

---

### समालोचनात्मक मूल्यांकन

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित किया, परंतु भारतीय जनता के हितों की अनदेखी जारी रही। यह अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का साधन

बना। फिर भी प्रशासनिक सुधार और केंद्रीकरण की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

---

### निष्कर्ष

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने कंपनी की स्वायत्तता को सीमित कर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया और भारत में औपनिवेशिक शासन की संरचना को स्थायित्व प्रदान किया।

---

### 6. कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों का विस्तृत वर्णन कीजिए

यह रहा आपका 20 अंकों का विस्तृत, परीक्षा-उपयोगी उत्तर:

---

#### कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों का विस्तृत वर्णन (20 अंक)

##### प्रस्तावना

Lord Cornwallis (1786-1793) ने भारत में न्यायिक एवं प्रशासनिक सुधारों की व्यापक श्रृंखला लागू की। वॉरेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था में विद्यमान कमियों को दूर करने तथा प्रशासन को अधिक संगठित और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध **कॉर्नवालिस कोड (Cornwallis Code)** लागू किया। उनके सुधारों ने आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की ठोस नींव रखी।

---

##### 1. न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण

- कलेक्टर से न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए।
- प्रशासनिक (राजस्व) और न्यायिक कार्यों को अलग किया गया।

- इससे न्यायिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा।
- 

## 2. दीवानी न्याय व्यवस्था

- जिला स्तर पर **जिला दीवानी अदालत (District Diwani Adalat)** की स्थापना।
  - इसके ऊपर **प्रांतीय दीवानी अदालतें (Provincial Courts of Appeal)**।
  - सर्वोच्च स्तर पर **सदर दीवानी अदालत (Sadar Diwani Adalat)**।
  - दीवानी मामलों में अपील की स्पष्ट व्यवस्था।
- 

## 3. फौजदारी न्याय व्यवस्था

- जिला स्तर पर **फौजदारी अदालतें**।
  - गंभीर अपराधों के लिए **प्रांतीय अदालतें**।
  - सर्वोच्च स्तर पर **सदर निजामत अदालत (Sadar Nizamat Adalat)**।
  - मुस्लिम आपराधिक कानून का पालन जारी रखा गया, परंतु अंग्रेजी नियंत्रण बढ़ा।
- 

## 4. न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति

- उच्च न्यायिक पदों पर केवल अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति।
  - भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया।
  - न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि कर भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास।
- 

## 5. प्रक्रिया एवं कानून में सुधार

- न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और लिखित बनाया गया।
  - साक्ष्य एवं अपील की स्पष्ट व्यवस्था।
  - भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण।
- 

### कॉर्नवालिस कोड (1793)

- प्रशासनिक एवं न्यायिक नियमों का संकलन।
  - सिविल सेवा में सुधार।
  - कानून के शासन (Rule of Law) की स्थापना का प्रयास।
- 

### सुधारों का महत्व

- ✓ न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।
  - ✓ संगठित एवं स्तरीकृत न्यायालय प्रणाली।
  - ✓ अपील की स्पष्ट व्यवस्था।
  - ✓ प्रशासनिक ईमानदारी को बढ़ावा।
  - ✓ आधुनिक न्यायिक ढाँचे की नींव।
- 

### दोष (आलोचना)

1. भारतीयों को उच्च न्यायिक पदों से बाहर रखा गया।
  2. न्यायिक प्रक्रिया जटिल और महंगी।
  3. अंग्रेजी नियंत्रण अत्यधिक केंद्रीकृत।
  4. भारतीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ण समझ का अभाव।
-

## समालोचनात्मक मूल्यांकन

कॉर्नवालिस के सुधार प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, परंतु वे पूर्णतः औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थे। उन्होंने न्यायिक ढाँचे को संगठित किया, परंतु भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई।

---

## निष्कर्ष

कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार भारतीय विधिक इतिहास में एक मील का पत्थर हैं। उन्होंने न्यायपालिका की संरचना को स्थायित्व प्रदान किया और आधुनिक न्यायिक प्रणाली की मजबूत नींव रखी, यद्यपि इनमें औपनिवेशिक पक्षपात स्पष्ट था।

---

## 7. भारत में विधि आयोगों एवं संहिताकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए

यह रहा आपका 20 अंकों का विस्तृत, परीक्षा-उपयोगी उत्तर:

---

✓ **भारत में विधि आयोगों एवं संहिताकरण की प्रक्रिया का वर्णन (20 अंक)**

### प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में कानून विविध, प्रथागत और असंगठित रूप में प्रचलित थे। एकरूपता और स्पष्टता के अभाव के कारण न्याय प्रशासन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। इसी समस्या के समाधान हेतु ब्रिटिश सरकार ने विधि आयोगों की स्थापना की और कानूनों का संहिताकरण (Codification) प्रारंभ किया। यह प्रक्रिया भारतीय विधिक इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है।

## विधि आयोगों की स्थापना

### 1. प्रथम विधि आयोग (1834)

- स्थापना: 1834 (चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत)
  - अध्यक्ष: Lord Macaulay
  - उद्देश्य: भारतीय कानूनों का संहिताकरण और एकरूपता।
  - प्रमुख उपलब्धि: Indian Penal Code का प्रारूप।
- 

### 2. द्वितीय विधि आयोग (1853)

- सिविल प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया आदि पर कार्य।
  - परिणामस्वरूप सिविल और क्रिमिनल प्रक्रिया संहिताएँ बनीं।
- 

### 3. तृतीय विधि आयोग (1861)

- दीवानी कानूनों के सुधार पर कार्य।
- 

### 4. चतुर्थ विधि आयोग (1879)

- शेष कानूनों के संशोधन और संकलन पर कार्य।
- 

## संहिताकरण की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 - अपराधों की स्पष्ट परिभाषा।
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1861/1898 - आपराधिक प्रक्रिया।
3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1859/1908 - दीवानी प्रक्रिया।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - Indian Evidence Act
  5. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 - Indian Contract Act
  6. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882।
- 

### संहिताकरण का महत्व

- ✓ कानूनों में एकरूपता और स्पष्टता।
  - ✓ न्यायिक निर्णयों में संगति।
  - ✓ प्रथागत और अस्पष्ट कानूनों का अंत।
  - ✓ आधुनिक विधि व्यवस्था की स्थापना।
  - ✓ स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में सहायक आधार।
- 

### दोष एवं आलोचना

1. अंग्रेजी कानूनों का अत्यधिक प्रभाव।
  2. भारतीय परंपराओं की सीमित मान्यता।
  3. संहिताएँ औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गईं।
- 

### समालोचनात्मक मूल्यांकन

संहिताकरण ने भारत में विधि को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और स्पष्ट बनाया। यद्यपि यह प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन के अधीन थी, फिर भी इससे आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की मजबूत नींव पड़ी। स्वतंत्र भारत में भी अधिकांश संहिताएँ संशोधित रूप में आज तक लागू हैं।

---

### निष्कर्ष

भारत में विधि आयोगों और संहिताकरण की प्रक्रिया ने विधिक व्यवस्था को संगठित, स्पष्ट और एकरूप बनाया। यह भारतीय विधिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जिसने आधुनिक न्याय प्रणाली का आधार तैयार किया।

---

#### 8. भारतीय दंड संहिता, 1860 के निर्माण एवं महत्व की विवेचना कीजिए

यह रहा आपका 20 अंकों का विस्तृत, परीक्षा-उपयोगी उत्तर:

---

✓ भारतीय दंड संहिता, 1860 के निर्माण एवं महत्व की विवेचना (20 अंक)

#### प्रस्तावना

भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व आपराधिक कानून विभिन्न प्रथाओं, मुस्लिम आपराधिक विधि और स्थानीय नियमों पर आधारित था, जिससे एकरूपता का अभाव था। इस स्थिति को सुधारने हेतु प्रथम विधि आयोग (1834) की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष Lord Macaulay थे। उनके नेतृत्व में तैयार प्रारूप के आधार पर Indian Penal Code (IPC) पारित हुई, जो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई।

---

#### निर्माण की प्रक्रिया

1. चार्टर एक्ट, 1833 के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग की स्थापना।
2. 1837 में दंड संहिता का प्रारूप प्रस्तुत।
3. विभिन्न संशोधनों के बाद 1860 में पारित।
4. 1862 से पूरे ब्रिटिश भारत में लागू।

IPC में प्रारंभ में 23 अध्याय और 511 धाराएँ थीं (वर्तमान में संशोधनों के साथ संख्या में परिवर्तन हुआ है)।

---

### **प्रमुख विशेषताएँ**

1. **अपराधों की स्पष्ट परिभाषा**
    - प्रत्येक अपराध की परिभाषा एवं दंड निश्चित।
  2. **सामान्य अपवाद (General Exceptions)**
    - आत्मरक्षा, भूल, पागलपन आदि की व्यवस्था।
  3. **अपराधों का वर्गीकरण**
    - राज्य के विरुद्ध अपराध
    - मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
    - संपत्ति के विरुद्ध अपराध
    - विवाह एवं मानहानि संबंधी अपराध
  4. **दंड की व्यवस्था**
    - मृत्युदंड
    - आजीवन कारावास
    - कारावास
    - जुर्माना
  5. **सार्वभौमिकता**
    - कानून सभी पर समान रूप से लागू।
-

## महत्व

- ✓ भारत में आपराधिक कानून की एकरूपता स्थापित।
  - ✓ न्यायिक निर्णयों में स्पष्टता और निश्चितता।
  - ✓ मनमानी दंड व्यवस्था का अंत।
  - ✓ आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव।
  - ✓ स्वतंत्र भारत में भी संशोधित रूप में लागू (हाल तक)।
- 

## दोष एवं आलोचना

1. अंग्रेजी विधि का अत्यधिक प्रभाव।
  2. औपनिवेशिक हितों की रक्षा पर अधिक बल।
  3. कुछ प्रावधान समय के साथ अप्रासंगिक हो गए (जैसे देशद्रोह धारा 124A पर विवाद)।
- 

## समालोचनात्मक मूल्यांकन

भारतीय दंड संहिता वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से निर्मित संहिता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, जिससे न्यायालयों को निर्णय देने में सुविधा हुई। यद्यपि यह औपनिवेशिक काल की उपज थी, फिर भी इसकी संरचना इतनी मजबूत रही कि स्वतंत्र भारत में भी यह लंबे समय तक लागू रही।

---

## निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता, 1860 भारतीय विधिक इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसने अपराधों की स्पष्ट परिभाषा एवं दंड व्यवस्था प्रदान

कर आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला रखी। इसका महत्व आज भी भारतीय विधि व्यवस्था में परिलक्षित होता है।

---

✓ UNIT – II (न्यायिक संस्थाओं का विकास)

9. 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम की विशेषताएँ एवं महत्व बताइए

✓ 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम की विशेषताएँ एवं महत्व (20 अंक)

**प्रस्तावना**

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस की। पूर्व में स्थापित सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र के टकराव तथा न्यायिक जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने Indian High Courts Act 1861 पारित किया। इस अधिनियम ने भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

---

**अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ**

**1. उच्च न्यायालयों की स्थापना**

- कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान।
- 1862 में इन उच्च न्यायालयों की औपचारिक स्थापना हुई।

**2. पुरानी अदालतों का विलय**

- सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी/निजामत अदालतों को समाप्त कर उच्च न्यायालय में विलय किया गया।

- इससे न्यायिक प्रणाली में एकरूपता आई।

### 3. संरचना

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और अधिकतम 15 न्यायाधीश।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा।
- कुछ न्यायाधीशों का भारतीय होना अनिवार्य नहीं था, परंतु बाद में भारतीयों की नियुक्ति हुई।

### 4. अधिकार क्षेत्र

- दीवानी, फौजदारी, अपीलीय एवं रिट अधिकार।
- अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण (Superintendence)।

### 5. विधिक एकरूपता

- अंग्रेजी और भारतीय कानूनों का समन्वय।
- न्यायिक प्रक्रिया को संगठित और स्पष्ट बनाया गया।

---

### अधिनियम का महत्व

- ✓ भारत में आधुनिक उच्च न्यायालय प्रणाली की शुरुआत।
- ✓ न्यायिक व्यवस्था में एकरूपता एवं केंद्रीकरण।
- ✓ सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों के टकराव का अंत।
- ✓ न्यायपालिका की संरचना अधिक संगठित हुई।
- ✓ स्वतंत्र भारत के उच्च न्यायालयों की आधारशिला।

---

### दोष

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अधीन।
2. भारतीयों की सीमित भागीदारी।
3. न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव।

---

### समालोचनात्मक मूल्यांकन

1861 का अधिनियम न्यायिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसने द्वैध न्यायिक व्यवस्था को समाप्त कर एकीकृत उच्च न्यायालय प्रणाली स्थापित की। यद्यपि यह औपनिवेशिक हितों से प्रेरित था, फिर भी इसने भारत में न्यायिक संगठन को स्थायित्व प्रदान किया।

---

### निष्कर्ष

1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम भारतीय विधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने आधुनिक उच्च न्यायालय प्रणाली की नींव रखी, जो आज भी भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख संरचना का आधार है।

---

### 10. प्रिवी काउंसिल की संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए

**Judicial Committee of the Privy Council की संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं महत्व (20 अंक)**

#### प्रस्तावना

प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की सर्वोच्च अपीलीय संस्था थी, जो उपनिवेशों से आने वाली अपीलों की अंतिम सुनवाई करती थी। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान यह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी।

1833 के चार्टर एक्ट के बाद इसके न्यायिक कार्यों को औपचारिक रूप से "ज्यूडिशियल कमेटी" को सौंपा गया।

### 1. संरचना (Structure)

1. गठन - 1833 में ज्यूडिशियल कमेटी का गठन किया गया।
  2. सदस्य -
    - ब्रिटेन के लॉर्ड चांसलर
    - लॉर्ड्स ऑफ अपील
    - वरिष्ठ न्यायाधीश एवं विधि विशेषज्ञ
  3. भारतीय मामलों की सुनवाई - भारत से अपीलें इसी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती थीं।
  4. निर्णय की प्रक्रिया - समिति निर्णय देकर उसे ब्रिटिश सम्राट को सलाह के रूप में भेजती थी, और सम्राट के नाम से अंतिम आदेश जारी होता था।
- 

### 2. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

1. अपीलीय अधिकार क्षेत्र -
    - भारत के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपील।
    - दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई।
  2. विशेष अनुमति (Special Leave) -
    - विशेष परिस्थितियों में प्रत्यक्ष अपील स्वीकार की जा सकती थी।
  3. संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रश्न -
    - शासन, अधिकार एवं कानून की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय।
-

### 3. महत्व (Importance)

1. **सर्वोच्च अपीलीय मंच** - यह भारत के लिए अंतिम न्यायिक प्राधिकारी था।
  2. **कानून का एकीकरण** - इसके निर्णयों ने भारत में विधि के सिद्धांतों को एकरूपता प्रदान की।
  3. **नजीर (Precedent) का विकास** - अनेक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत विकसित हुए।
  4. **निष्पक्षता की छवि** - ब्रिटिश न्यायाधीश होने के कारण इसे अपेक्षाकृत निष्पक्ष मंच माना जाता था।
- 

### 4. आलोचना (Criticism)

1. **दूरी एवं खर्च** - लंदन में स्थित होने के कारण अपील महंगी एवं समयसाध्य थी।
  2. **भारतीय परिस्थितियों की अनभिज्ञता** - ब्रिटिश न्यायाधीश भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ से पूर्णतः परिचित नहीं थे।
  3. **औपनिवेशिक हितों की रक्षा** - कई बार निर्णय ब्रिटिश शासन के हित में माने गए।
- 

### निष्कर्ष

प्रिवी काउंसिल ने भारतीय न्यायिक प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके निर्णयों ने भारतीय विधि को व्यवस्थित एवं आधुनिक स्वरूप दिया। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसकी अपीलीय शक्ति समाप्त कर दी गई और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, फिर भी भारतीय विधि के इतिहास में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

---

## 11. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए

### भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (20 अंक)

#### प्रस्तावना

भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का शिखर है। इसका विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता और संविधान निर्माण तक एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है।

---

#### 1. प्रारंभिक चरण - कंपनी शासन

##### (i) प्रारंभिक चार्टर एवं न्यायालय

- 1726 के चार्टर द्वारा मद्रास, बंबई और कलकत्ता में मेयर न्यायालयों की स्थापना हुई।
- ये न्यायालय अंग्रेजी कानून पर आधारित थे।

##### (ii) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

- 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
- यह भारत का पहला शाही (Crown) न्यायालय था।

---

#### 2. उच्च न्यायालयों की स्थापना

##### Indian High Courts Act 1861

- इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।

- सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों को समाप्त कर एकीकृत न्यायालय बनाए गए।
  - यह आधुनिक न्यायिक प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
- 

### 3. संघीय न्यायालय की स्थापना (1937)

#### Government of India Act 1935

- इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना हुई।
  - यह भारत का पहला अखिल भारतीय सर्वोच्च न्यायिक निकाय था।
  - इसे संघीय विषयों एवं प्रांतों के बीच विवादों पर मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त था।
  - फिर भी, अंतिम अपील का अधिकार अभी भी प्रिवी काउंसिल के पास था।
- 

### 4. प्रिवी काउंसिल की भूमिका

#### Judicial Committee of the Privy Council

- यह ब्रिटेन में स्थित सर्वोच्च अपीलीय संस्था थी।
  - भारत से अंतिम अपील यहीं जाती थी।
  - 1949 में प्रिवी काउंसिल की अपीलीय शक्ति समाप्त कर दी गई।
- 

### 5. संविधान सभा और सर्वोच्च न्यायालय

- 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।

- संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की।
- अमेरिकी और ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली से प्रेरणा ली गई।

#### Constitution of India

- अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई।
- 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
- इसने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया।

---

#### 6. स्वतंत्र भारत में भूमिका

- संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार।
- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति।
- मौलिक अधिकारों का संरक्षक (अनुच्छेद 32)।
- केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।

---

#### निष्कर्ष

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विकास कंपनी शासन के छोटे न्यायालयों से प्रारंभ होकर संघीय न्यायालय और अंततः 1950 में स्थापित संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। यह न केवल न्याय का सर्वोच्च मंच है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र का प्रहरी भी है।

---

#### 12. सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतों की स्थापना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए

सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतों की स्थापना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए (20 अंक)

## प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में भारत में न्यायिक व्यवस्था को संगठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य से दीवानी (नागरिक) और फौजदारी (आपराधिक) मामलों के लिए पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जिन्हें **सदर दीवानी अदालत** और **सदर निजामत अदालत** कहा गया। इन अदालतों ने आधुनिक भारतीय न्यायपालिका की नींव रखी।

---

### 1. स्थापना (Establishment)

#### (1) वॉरेन हेस्टिंग्स की न्याय योजना, 1772

- 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई न्यायिक योजना लागू की।
- प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गईं।
- इन जिला अदालतों के ऊपर अपीलीय न्यायालय के रूप में सदर अदालतें स्थापित की गईं।

#### (2) सदर दीवानी अदालत

- यह दीवानी (नागरिक) मामलों की सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी।
- प्रारंभ में इसका नियंत्रण गवर्नर और उसकी परिषद के हाथ में था।

#### (3) सदर निजामत अदालत

- यह फौजदारी मामलों की सर्वोच्च अदालत थी।
  - नवाब के नाम पर स्थापित की गई, परंतु वास्तविक नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों के पास था।
- 

### 2. संरचना (Structure)

### **सदर दीवानी अदालत**

- अध्यक्ष: गवर्नर एवं उसकी परिषद
- कार्य: जिला दीवानी अदालतों से आने वाली अपीलों की सुनवाई

### **सदर निजामत अदालत**

- अध्यक्ष: नाजिम (नाममात्र)
  - वास्तविक संचालन: अंग्रेज अधिकारी
  - कार्य: गंभीर आपराधिक मामलों की अंतिम सुनवाई
- 

### **3. कार्य (Functions)**

#### **(1) अपीलीय कार्य**

- जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना।

#### **(2) पर्यवेक्षण (Supervision)**

- अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण एवं मार्गदर्शन।

#### **(3) विधि का प्रयोग**

- दीवानी मामलों में हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून लागू।
- फौजदारी मामलों में मुस्लिम आपराधिक कानून का प्रयोग (बाद में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ा)।

#### **(4) दंड निर्धारण**

- सदर निजामत अदालत गंभीर अपराधों में अंतिम दंड निर्धारित करती थी।
- 

### **4. महत्व (Importance)**

1. न्यायिक प्रणाली का केंद्रीकरण।
  2. अपीलीय व्यवस्था की स्थापना।
  3. भारतीय विधि के विकास की आधारशिला।
  4. आधुनिक उच्च न्यायालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
- 

#### 5. दोष (Defects)

1. कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं था।
  2. अंग्रेज अधिकारियों का अधिक हस्तक्षेप।
  3. प्रक्रिया जटिल और विलंबपूर्ण थी।
- 

#### 6. समाप्ति

##### Indian High Courts Act 1861

- 1861 के अधिनियम द्वारा सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों को समाप्त कर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई।
- 

#### निष्कर्ष

सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतें भारतीय न्यायिक इतिहास का महत्वपूर्ण चरण थीं। इन्होंने अपीलीय व्यवस्था और न्यायिक संगठन को सुदृढ़ किया। यद्यपि इनमें अनेक कमियाँ थीं, फिर भी इन्होंने आधुनिक न्यायपालिका के विकास की नींव रखी।

---

#### ✓ UNIT – III (संवैधानिक विकास 1858–1919)

13. भारत शासन अधिनियम, 1858 की विशेषताएँ एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए

## Government of India Act 1858 की विशेषताएँ एवं प्रभाव (20 अंक)

### प्रस्तावना

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। इसी उद्देश्य से 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम भारत के प्रशासनिक एवं संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

---

### अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Features)

#### 1. कंपनी शासन का अंत

- ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया।
- भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया।

#### 2. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद

- ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए पद "भारत सचिव" (Secretary of State for India) की स्थापना की गई।
- उसे भारतीय प्रशासन पर व्यापक नियंत्रण और अधिकार प्राप्त हुए।
- उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद (Council of India) बनाई गई।

#### 3. गवर्नर-जनरल का पद परिवर्तन

- गवर्नर-जनरल को अब "वायसराय" कहा जाने लगा।
- वह ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बन गया।

#### 4. भारतीय सिविल सेवा

- प्रशासनिक सेवाओं को व्यवस्थित किया गया।

- सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।

### 5. भारतीय रियासतों के प्रति नीति

- ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के प्रति उदार नीति अपनाने का आश्वासन दिया।
  - “लैप्स की नीति” (Doctrine of Lapse) का अंत हुआ।
- 

### अधिनियम के प्रभाव (Impact)

#### 1. सत्ता का केंद्रीकरण

- भारत का शासन अधिक केंद्रीकृत और नियंत्रित हो गया।
- ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ।

#### 2. प्रशासनिक सुधार

- प्रशासन अधिक संगठित और उत्तरदायी बना।
- सैन्य और वित्तीय नियंत्रण में सुधार हुआ।

#### 3. भारतीयों में असंतोष

- भारतीयों को शासन में वास्तविक भागीदारी नहीं मिली।
- इससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला।

#### 4. संवैधानिक विकास की शुरुआत

- यह अधिनियम आगे आने वाले अधिनियमों (1861, 1892, 1909, 1919, 1935) की आधारशिला बना।
  - आधुनिक भारतीय संविधान के विकास की दिशा में यह पहला कदम था।
- 

### निष्कर्ष

1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसने कंपनी शासन का अंत कर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। यद्यपि इसने प्रशासनिक स्थिरता लाई, परंतु भारतीयों को राजनीतिक अधिकार न मिलने के कारण असंतोष बढ़ा, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया।

---

#### 14. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का मूल्यांकन कीजिए

##### Indian Councils Act 1861 का मूल्यांकन (20 अंक)

##### प्रस्तावना

1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन में भारतीयों को सीमित रूप से सम्मिलित करने और विधायी कार्यों को व्यवस्थित करने हेतु 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम भारत में प्रतिनिधिक शासन की प्रारंभिक आधारशिला माना जाता है।

---

##### अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Features)

##### 1. विधायी परिषद का पुनर्गठन

- गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था की गई।
- कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जा सकता था।

##### 2. भारतीयों की भागीदारी

- पहली बार कुछ भारतीयों को विधायी परिषद में नामित किया गया।
- यह भारतीयों को शासन में शामिल करने का प्रारंभिक प्रयास था।

### 3. प्रांतीय विकेंद्रीकरण

- बंबई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गईं।
- आगे चलकर अन्य प्रांतों में भी विधायी परिषदों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

### 4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- गवर्नर-जनरल को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता था।

### 5. पोर्टफोलियो प्रणाली

- कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को अलग-अलग विभाग (पोर्टफोलियो) सौंपे गए।
- इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आई।

---

#### सकारात्मक पक्ष (Merits)

1. भारतीयों को सीमित रूप में शासन में भागीदारी।
2. विधायी कार्यों का संस्थागत विकास।
3. प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में पहला कदम।
4. आधुनिक संसदीय प्रणाली की नींव।

---

#### नकारात्मक पक्ष (Demerits)

1. परिषद केवल सलाहकारी थी, वास्तविक शक्ति गवर्नर-जनरल के पास रही।

2. भारतीय सदस्यों की नियुक्ति नामांकन द्वारा थी, चुनाव का प्रावधान नहीं था।
3. बजट एवं वित्तीय मामलों पर परिषद का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था।
4. यह अधिनियम पूर्णतः ब्रिटिश हितों की रक्षा हेतु बनाया गया था।

---

### समग्र मूल्यांकन (Evaluation)

1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण किन्तु सीमित सुधार था। इसने प्रतिनिधिक शासन की दिशा में पहला कदम रखा, परंतु भारतीयों को वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की। फिर भी, आगे आने वाले अधिनियमों—1892, 1909, 1919 और 1935—के लिए यह आधार बना।

---

### निष्कर्ष

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 भारतीय प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यद्यपि इसमें कई सीमाएँ थीं, फिर भी इसने भारत में विधायी संस्थाओं के विकास और प्रतिनिधिक शासन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जो अंततः स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक संविधान में परिणत हुई।

---

15. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार) का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए

Indian Councils Act 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार) का आलोचनात्मक अध्ययन (20 अंक)

प्रस्तावना

1905 के बंग-भंग और बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। उस समय भारत सचिव John Morley और वायसराय Lord Minto थे, इसलिए इसे मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देना था।

---

### **प्रमुख विशेषताएँ (Features)**

#### **1. विधायी परिषदों का विस्तार**

- केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।

#### **2. पृथक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorates)**

- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
- यह भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी।

#### **3. प्रश्न पूछने का अधिकार**

- सदस्यों को प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया।
- सीमित रूप में बजट पर चर्चा की अनुमति दी गई।

#### **4. कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य**

- पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई (सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा)।
- 

### **सकारात्मक पक्ष (Merits)**

1. भारतीयों की विधायी परिषदों में संख्या बढ़ी।

2. राजनीतिक शिक्षा और संसदीय प्रक्रिया का प्रारंभिक अनुभव मिला।
  3. कार्यकारिणी में भारतीयों की आंशिक भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- 

#### **नकारात्मक पक्ष (Demerits)**

1. वास्तविक सत्ता अभी भी गवर्नर-जनरल और ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रही।
  2. पृथक निर्वाचन प्रणाली ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया।
  3. परिषदें केवल सलाहकारी थीं, उनके पास प्रभावी अधिकार नहीं थे।
  4. उत्तरदायी शासन (Responsible Government) की स्थापना नहीं हुई।
- 

#### **आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)**

- यह अधिनियम सुधार से अधिक “समझौता” था।
  - ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को शांत करना और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना था।
  - पृथक निर्वाचन ने आगे चलकर हिंदू-मुस्लिम विभाजन को गहरा किया, जो अंततः विभाजन (1947) का एक कारण बना।
  - फिर भी, इस अधिनियम ने संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जो 1919 और 1935 के अधिनियमों तक पहुँची।
- 

#### **निष्कर्ष**

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद चरण था। इसने प्रतिनिधित्व का विस्तार किया, परंतु साथ ही साम्प्रदायिक राजनीति की नींव भी रखी। अतः इसे

आंशिक सुधार और दीर्घकालीन दृष्टि से हानिकारक प्रभाव वाला अधिनियम माना जाता है।

---

---

## 16. भारत शासन अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) की विशेषताएँ एवं दोषों का वर्णन कीजिए

**Government of India Act 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) की विशेषताएँ एवं दोष (20 अंक)**

### प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। 1917 में भारत सचिव Edwin Montagu ने उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति का वादा किया। इसी आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।

---

### प्रमुख विशेषताएँ (Features)

1. द्वैध शासन (Diarchy) की स्थापना
  - प्रांतों में शासन को दो भागों में बाँटा गया:
    - हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects) - शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि (भारतीय मंत्रियों के अधीन)।
    - आरक्षित विषय (Reserved Subjects) - पुलिस, वित्त, राजस्व आदि (गवर्नर एवं उसके अधिकारियों के अधीन)।
2. केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल
  - पहली बार केंद्र में दो सदन बनाए गए:
    - विधान परिषद (Council of State)

- केंद्रीय विधान सभा (Legislative Assembly)

### 3. मताधिकार का विस्तार

- सीमित आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया।
- निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ।

### 4. पृथक निर्वाचन का विस्तार

- मुसलमानों के साथ-साथ सिखों, यूरोपियों और अन्य वर्गों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया।

### 5. प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में कदम

- प्रांतों में भारतीय मंत्रियों की नियुक्ति की गई।

### 6. लोक सेवा आयोग की स्थापना

- 1926 में संघ लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान।

---

### दोष (Demerits)

#### 1. द्वैध शासन की जटिलता

- हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का विभाजन व्यावहारिक नहीं था।
- गवर्नर के पास अंतिम अधिकार था।

#### 2. उत्तरदायी शासन का अभाव

- मंत्रियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी।
- केंद्र में गवर्नर-जनरल सर्वाधिक शक्तिशाली बना रहा।

#### 3. सीमित मताधिकार

- बहुत कम लोगों को मतदान का अधिकार मिला।
- लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अधूरा रहा।

#### 4. साम्प्रदायिकता को बढ़ावा

- पृथक निर्वाचन प्रणाली ने साम्प्रदायिक विभाजन को गहरा किया।

---

#### समालोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)

- यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा।
- कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त बताया।
- द्वैध शासन की असफलता ने 1935 के अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया।
- फिर भी, इसने संसदीय शासन और प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया।

---

#### निष्कर्ष

1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण लेकिन अधूरा प्रयास था। इसने उत्तरदायी शासन की दिशा में शुरुआत की, परंतु वास्तविक सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही। इसके दोषों ने आगे चलकर 1935 के व्यापक सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया।

---

#### ✓ UNIT – IV (संवैधानिक विकास 1935–1950)

17. भारत शासन अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए

Government of India Act 1935 की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन  
(20 अंक)

## प्रस्तावना

भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सबसे व्यापक और विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था। यह 1919 के अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं। यह अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान की कई व्यवस्थाओं का आधार बना।

---

## मुख्य विशेषताएँ (Main Features)

### 1. संघीय व्यवस्था (Federal System)

- भारत में संघीय शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया।
  - संघ में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करने की योजना थी।
  - संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान।  
(हालाँकि संघीय भाग पूरी तरह लागू नहीं हो सका।)
- 

### 2. शक्तियों का विभाजन

- विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया:
    1. संघ सूची
    2. प्रांतीय सूची
    3. समवर्ती सूची
  - अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के पास थीं।
-

### 3. प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)

- 1919 की द्वैध शासन (Diarchy) प्रणाली समाप्त की गई।
  - प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई।
  - मंत्रिपरिषद् विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी।
- 

### 4. केंद्र में द्वैध शासन (Diarchy at Centre)

- केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई (परंतु व्यवहार में लागू नहीं हुई)।
- 

### 5. द्विसदनीय विधानमंडल

- कुछ प्रांतों और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था।
- 

### 6. मताधिकार का विस्तार

- मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार मिला।
- 

### 7. संघीय न्यायालय की स्थापना

- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
  - यह केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करता था।
- 

### 8. पृथक निर्वाचन प्रणाली

- विभिन्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा गया।

- इससे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला।
- 

### 9. आपातकालीन शक्तियाँ

- गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को व्यापक आपातकालीन अधिकार दिए गए।
- 

### 10. लोक सेवा आयोग एवं रिजर्व बैंक

- संघीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था।
  - रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान (1935 में RBI की स्थापना)।
- 

### महत्व (Importance)

1. भारतीय संविधान का आधार बना।
  2. संघीय ढाँचे और सूचियों की व्यवस्था का प्रारूप दिया।
  3. प्रांतीय स्वायत्तता की वास्तविक शुरुआत।
  4. संघीय न्यायालय की स्थापना से न्यायिक एकता मजबूत हुई।
- 

### निष्कर्ष

1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यद्यपि इसमें कई कमियाँ थीं और पूर्ण संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, फिर भी इसने भारतीय संविधान के निर्माण में आधारभूत भूमिका निभाई। इसकी अनेक व्यवस्थाएँ आज भी भारतीय संविधान में परिलक्षित होती हैं।

---

---

18. 1919 और 1935 के अधिनियमों की तुलना कीजिए

## Government of India Act 1919 और Government of India Act 1935 की तुलना (20 अंक)

### प्रस्तावना

1919 और 1935 के अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा पारित दो महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून थे। 1919 का अधिनियम उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रारंभिक कदम था, जबकि 1935 का अधिनियम अधिक व्यापक और विस्तृत सुधारों का प्रतीक था। दोनों अधिनियमों की तुलना से भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया स्पष्ट होती है।

### तुलनात्मक सारणी (Comparative Table)

आधार	1919 का अधिनियम	1935 का अधिनियम
प्रकृति	सीमित सुधार	सबसे विस्तृत और व्यापक अधिनियम
संघीय व्यवस्था	संघीय ढाँचे का अभाव	संघीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान
द्वैध शासन (Diarchy)	प्रांतों में लागू	प्रांतों में समाप्त, केंद्र में प्रस्तावित
प्रांतीय स्वायत्तता	सीमित	पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता
विधानमंडल	केंद्र में द्विसदनीय	केंद्र व कुछ प्रांतों में द्विसदनीय
शक्तियों का विभाजन	स्पष्ट सूची व्यवस्था नहीं	संघ, प्रांत व समवर्ती सूची

आधार	1919 का अधिनियम	1935 का अधिनियम
मताधिकार	बहुत सीमित	अपेक्षाकृत विस्तृत
पृथक निर्वाचन	जारी और विस्तारित	और अधिक विस्तारित
संघीय न्यायालय	प्रावधान नहीं	संघीय न्यायालय की स्थापना
गवर्नर/वायसराय की शक्तियाँ	व्यापक	और अधिक व्यापक एवं आपातकालीन शक्तियाँ

### प्रमुख अंतर (Major Differences)

#### 1. विस्तार और गहराई

- 1919 अधिनियम सीमित सुधार था।
- 1935 अधिनियम में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं, जो इसे सबसे विस्तृत बनाती हैं।

#### 2. प्रांतीय शासन

- 1919 में द्वैध शासन (Diarchy) लागू हुआ, जो असफल रहा।
- 1935 में इसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई।

#### 3. संघीय ढाँचा

- 1919 में संघीय व्यवस्था नहीं थी।
- 1935 में संघीय ढाँचे का स्पष्ट प्रावधान था।

#### 4. न्यायिक विकास

- 1919 में संघीय न्यायालय का प्रावधान नहीं।
- 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना (1937)।

---

#### समानताएँ (Similarities)

1. दोनों अधिनियमों में पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रही।
2. दोनों में गवर्नर-जनरल को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थीं।
3. दोनों अधिनियमों का उद्देश्य भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देना था।

---

#### निष्कर्ष

1919 का अधिनियम उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रारंभिक प्रयास था, परंतु इसकी कमियाँ स्पष्ट थीं। 1935 का अधिनियम अधिक व्यापक और प्रभावशाली था, जिसने संघीय ढाँचा और प्रांतीय स्वायत्तता की मजबूत नींव रखी। स्वतंत्र भारत के संविधान पर 1935 अधिनियम का अधिक गहरा प्रभाव देखा जाता है।

---

#### 19. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का विश्लेषण कीजिए

##### Indian Independence Act 1947 का विश्लेषण (20 अंक)

#### प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण का निर्णय लिया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन (Dominion) के रूप

में अस्तित्व में आए। यह अधिनियम भारत के औपनिवेशिक शासन के अंत का विधिक आधार बना।

---

### **अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Features)**

#### **1. दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना**

- भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन।
- दोनों को पूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त हुए।

#### **2. ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का अंत**

- भारत और पाकिस्तान पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण समाप्त।
- दोनों डोमिनियन अपने संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र।

#### **3. गवर्नर-जनरल की नियुक्ति**

- प्रत्येक डोमिनियन में गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।
- वह सम्राट का प्रतिनिधि था, परंतु स्थानीय मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता था।

#### **4. संविधान सभा की शक्ति**

- संविधान सभा को विधायी एवं संविधान निर्माण की शक्ति प्रदान की गई।

#### **5. भारतीय राज्यों की स्थिति**

- देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता (Paramountcy) समाप्त कर दी गई।
- उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया।

#### **6. भारत शासन अधिनियम, 1935 का अस्थायी प्रयोग**

- जब तक नया संविधान न बन जाए, तब तक 1935 का अधिनियम संशोधित रूप में लागू रहा।

---

### अधिनियम का महत्व (Importance)

1. भारत को वैधानिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की।
2. संविधान निर्माण की प्रक्रिया को वैधता मिली।
3. औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।
4. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

---

### आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

1. अधिनियम ने देश का विभाजन सुनिश्चित किया, जिससे व्यापक विस्थापन और हिंसा हुई।
2. सीमाओं का निर्धारण जल्दबाजी में किया गया।
3. फिर भी, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया।
4. इसने भारतीय संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता प्रदान की, जिससे 1950 में संविधान लागू हो सका।

---

### निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 भारत के संवैधानिक इतिहास का निर्णायक चरण था। इसने ब्रिटिश शासन का अंत कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। यद्यपि विभाजन के कारण गंभीर सामाजिक-राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं, फिर भी यह अधिनियम स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक संविधान की नींव सिद्ध हुआ।

---

## 20. भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए

Constitution of India के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन (20 अंक)

### प्रस्तावना

भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम था। यह केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की आकांक्षाओं, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 से 1950 तक चली और इसमें विभिन्न समितियों तथा संविधान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

---

### 1. संविधान सभा का गठन

Constituent Assembly of India

- गठन: कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अंतर्गत।
- कुल सदस्य: प्रारंभ में 389 (विभाजन के बाद 299)।
- सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ।
- प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946।
- स्थायी अध्यक्ष: Rajendra Prasad।

---

### 2. उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution)

- 13 दिसंबर 1946 को Jawaharlal Nehru ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- इसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य और न्याय के सिद्धांतों की घोषणा की गई।
- यही प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

---

### 3. समितियों का गठन

संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के लिए अनेक समितियाँ बनाई, जैसे—

- प्रारूप समिति (Drafting Committee)
- संघीय शक्तियाँ समिति
- मौलिक अधिकार समिति
- प्रांतीय संविधान समिति

**प्रारूप समिति के अध्यक्ष:**

B. R. Ambedkar

---

#### 4. प्रारूप (Draft) का निर्माण

- प्रारूप समिति ने 1948 में संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया।
  - इस पर विस्तृत चर्चा और संशोधन हुए।
  - संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक विचार-विमर्श चला।
- 

#### 5. संविधान का अंगीकरण

- 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत (Adopt), अधिनियमित (Enact) और आत्मार्पित (Give to ourselves) किया।
  - 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 

#### 6. निर्माण की विशेषताएँ

1. विस्तृत और लिखित संविधान।
2. संघीय ढाँचा एवं संसदीय प्रणाली।

3. मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व।
4. स्वतंत्र न्यायपालिका।

---

## निष्कर्ष

भारतीय संविधान का निर्माण एक व्यापक, लोकतांत्रिक और विचारशील प्रक्रिया थी। इसमें विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श के बाद ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे सफल लोकतांत्रिक संविधानों में से एक माना जाता है।

---

## देशी रियासतों की स्थिति एवं अधिराज्य (Doctrine of Paramountcy) का विकास स्पष्ट कीजिए

### देशी रियासतों की स्थिति एवं अधिराज्य (Doctrine of Paramountcy) का विकास (20 अंक)

#### प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे—ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। देशी रियासतें वे क्षेत्र थे जहाँ स्थानीय शासक शासन करते थे, परंतु वे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। वे ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करते थे। इस संबंध को “अधिराज्य” (Doctrine of Paramountcy) कहा गया।

---

### 1. देशी रियासतों की स्थिति (Status of Princely States)

#### 1. आंतरिक स्वायत्तता

- रियासतों के शासकों को आंतरिक प्रशासन का अधिकार था।

- वे राजस्व, न्याय एवं कानून-व्यवस्था का संचालन करते थे।
2. **बाह्य मामलों में निर्भरता**
- रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे।
  - रियासतें स्वतंत्र रूप से अन्य देशों से संबंध स्थापित नहीं कर सकती थीं।
3. **संधियों पर आधारित संबंध**
- ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच विभिन्न संधियाँ (Treaties) हुईं।
  - इन संधियों के माध्यम से अधीनता की व्यवस्था विकसित हुई।
4. **राजनीतिक एजेंट**
- प्रत्येक प्रमुख रियासत में ब्रिटिश “रेजिडेंट” या राजनीतिक एजेंट नियुक्त होता था, जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था।

---

## 2. अधिराज्य (Doctrine of Paramountcy) का विकास

### (1) प्रारंभिक अवस्था

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य और कूटनीतिक संधियों के माध्यम से रियासतों पर प्रभाव स्थापित किया।
- सहायक संधि प्रणाली (Subsidiary Alliance) के अंतर्गत रियासतों को ब्रिटिश सेना रखने और कर देने की बाध्यता थी।

### (2) लैप्स का सिद्धांत (Doctrine of Lapse)

- कुछ रियासतों को उत्तराधिकारी न होने पर ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया।

- 1858 के बाद इस नीति को समाप्त कर दिया गया।

### (3) 1858 के बाद विकास

- ब्रिटिश क्राउन ने रियासतों पर सर्वोच्चता (Paramountcy) का दावा किया।
- यह स्पष्ट किया गया कि रियासतें पूर्ण संप्रभु नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश सम्राट की अधीनता स्वीकार करती हैं।

### (4) 1935 का अधिनियम

- संघीय योजना के अंतर्गत रियासतों को संघ में शामिल करने का प्रयास किया गया।
- परंतु अधिकांश रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया।

---

### 3. अधिराज्य की प्रकृति

1. यह कोई स्पष्ट कानूनी सिद्धांत नहीं था, बल्कि राजनीतिक अवधारणा थी।
2. ब्रिटिश सरकार स्वयं को रियासतों का सर्वोच्च संरक्षक मानती थी।
3. आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश सरकार रियासतों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती थी।

---

### 4. अधिराज्य का अंत

#### Indian Independence Act 1947

- 1947 में ब्रिटिश प्रभुसत्ता (Paramountcy) समाप्त कर दी गई।
- रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया।

- बाद में सरदार पटेल और वी.पी. मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतें भारत में सम्मिलित हो गईं।

---

## निष्कर्ष

देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन आंतरिक रूप से स्वायत्त किंतु बाह्य रूप से निर्भर राज्य थीं। अधिराज्य का सिद्धांत ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करता था, जो पूर्ण संप्रभुता के विपरीत था। 1947 में अधिराज्य की समाप्ति के साथ ही रियासतों का भारत में विलय हुआ और एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण संभव हो सका।

---

## 🔥 सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न (Very Important)

- **रेगुलेटिंग एक्ट 1773**

Regulating Act 1773 (10 अंक)

### प्रस्तावना

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यह भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया।

---

### प्रमुख प्रावधान (Main Provisions)

1. **गवर्नर-जनरल का पद**
  - बंगाल के गवर्नर को "गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल" बनाया गया।
  - वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने।
  - उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद बनाई गई।

## 2. मद्रास और बंबई पर नियंत्रण

- ये प्रेसीडेंसियाँ बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दी गईं।

## 3. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)

- कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

## 4. कंपनी पर संसदीय नियंत्रण

- कंपनी के निदेशक मंडल को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।

---

### महत्व (Importance)

- कंपनी शासन पर ब्रिटिश संसद का पहला प्रत्यक्ष नियंत्रण।
- भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी।
- न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत।

---

### दोष (Demerits)

- गवर्नर-जनरल और परिषद के बीच मतभेद।
- सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच अधिकारों का टकराव।
- अधिनियम की कई धाराएँ अस्पष्ट थीं।

---

### निष्कर्ष

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 भारतीय संवैधानिक विकास का प्रारंभिक चरण था। यद्यपि इसमें कई कमियाँ थीं, फिर भी इसने ब्रिटिश संसद के नियंत्रण और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, जो आगे के संवैधानिक सुधारों का आधार बना।

---

- **पिट्स इंडिया एक्ट 1784**

Pitt's India Act 1784 (10 अंक)

### प्रस्तावना

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री William Pitt the Younger के प्रयास से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था।

---

### प्रमुख प्रावधान (Main Provisions)

1. **द्वैध नियंत्रण (Dual Control) की स्थापना**
    - कंपनी के वाणिज्यिक कार्य कंपनी के हाथ में रहे।
    - राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के अधीन किया गया।
  2. **बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना**
    - छह सदस्यों का "Board of Control" बनाया गया।
    - यह भारतीय प्रशासन की नीतियों पर नियंत्रण रखता था।
  3. **गवर्नर-जनरल की शक्तियों में वृद्धि**
    - गवर्नर-जनरल को प्रेसीडेंसियों पर अधिक नियंत्रण दिया गया।
    - मद्रास और बंबई को उसके अधीन स्पष्ट रूप से रखा गया।
  4. **युद्ध और संधि पर नियंत्रण**
    - बिना अनुमति के कोई भी प्रेसीडेंसी युद्ध या संधि नहीं कर सकती थी।
- 

### महत्व (Importance)

- कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ।
  - केंद्रीयकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई।
  - प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
- 

### दोष (Demerits)

- द्वैध नियंत्रण प्रणाली जटिल और अस्पष्ट थी।
  - भारतीयों की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं।
  - वास्तविक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथ में केंद्रित रही।
- 

### निष्कर्ष

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ने कंपनी शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाकर प्रशासन को अधिक संगठित बनाया। यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने आगे के सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

---

---

### • भारत शासन अधिनियम 1919

Government of India Act 1919 (10 अंक)

### प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। 1917 में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति का वादा किया। इसी के परिणामस्वरूप 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।

---

### प्रमुख विशेषताएँ (Main Features)

1. द्वैध शासन (Diarchy) की स्थापना

- प्रांतों में शासन को दो भागों में बाँटा गया:
  - **हस्तांतरित विषय** (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) – भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए।
  - **आरक्षित विषय** (पुलिस, वित्त आदि) – गवर्नर के अधीन रहे।
- 2. **केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल**
  - विधान परिषद (Council of State)
  - केंद्रीय विधान सभा (Legislative Assembly)
- 3. **मताधिकार का सीमित विस्तार**
  - संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर सीमित मतदान अधिकार।
- 4. **पृथक निर्वाचन का विस्तार**
  - मुसलमानों के साथ अन्य वर्गों को भी पृथक निर्वाचन।
- 5. **लोक सेवा आयोग का प्रावधान**
  - 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना।

---

#### **महत्व (Importance)**

- उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला औपचारिक कदम।
- भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी।
- संसदीय प्रक्रिया का प्रारंभिक अनुभव।

---

#### **दोष (Demerits)**

- द्वैध शासन जटिल और असफल रहा।

- गवर्नर-जनरल के पास व्यापक शक्तियाँ बनी रहीं।
- मताधिकार बहुत सीमित था।
- साम्प्रदायिक निर्वाचन से विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ी।

---

## निष्कर्ष

भारत शासन अधिनियम, 1919 भारतीय संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण परंतु अपूर्ण प्रयास था। इसकी कमियों के कारण आगे चलकर 1935 के अधिनियम की आवश्यकता पड़ी।

---

- भारत शासन अधिनियम 1935

Government of India Act 1935 (10 अंक)

## प्रस्तावना

भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। यह 1919 के अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस अधिनियम ने आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण को प्रभावित किया।

---

## प्रमुख विशेषताएँ (Main Features)

1. **संघीय शासन की व्यवस्था**
  - भारत में संघीय ढाँचे की स्थापना का प्रावधान।
  - संघ में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करने की योजना (हालाँकि पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ)।
2. **शक्तियों का विभाजन**
  - तीन सूचियाँ बनाई गईं:

- संघ सूची
  - प्रांतीय सूची
  - समवर्ती सूची
  - अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल को दी गईं।
3. **प्रांतीय स्वायत्तता**
- 1919 की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई।
  - प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ।
4. **संघीय न्यायालय की स्थापना**
- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना।
5. **मताधिकार का विस्तार**
- लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार।
6. **पृथक निर्वाचन**
- विभिन्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जारी।

---

#### **महत्व (Importance)**

- भारतीय संविधान का आधार बना।
- संघीय ढाँचे और सूचियों की व्यवस्था का प्रारूप दिया।
- प्रांतीय स्वायत्तता की वास्तविक शुरुआत।

---

#### **दोष (Demerits)**

- गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को अत्यधिक शक्तियाँ।

- संघीय योजना पूर्णतः लागू नहीं हो सकी।
- पृथक निर्वाचन ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया।

---

## निष्कर्ष

भारत शासन अधिनियम, 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यद्यपि इसमें अनेक कमियाँ थीं, फिर भी इसने स्वतंत्र भारत के संविधान की आधारशिला रखी।

---

## • संहिताकरण (Codification)

### संहिताकरण (Codification) – 10 अंक

#### प्रस्तावना

संहिताकरण का अर्थ है—विधि के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और प्रथाओं को एक सुव्यवस्थित, लिखित एवं संगठित रूप में संकलित करना। जब कानून बिखरे हुए, अस्पष्ट या परंपराओं पर आधारित होते हैं, तब उन्हें एक स्पष्ट और व्यवस्थित संहिता (Code) में बदलना संहिताकरण कहलाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापक स्तर पर संहिताकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

---

### भारत में संहिताकरण का विकास

1. **प्रथम विधि आयोग (1834)**
  - अध्यक्ष: लॉर्ड मैकॉले।
  - उद्देश्य: भारतीय कानूनों को एकरूप और स्पष्ट बनाना।
2. **भारतीय दंड संहिता, 1860**
  - आपराधिक कानून को एक संगठित रूप दिया गया।
3. **दीवानी प्रक्रिया संहिता (1859, बाद में 1908)**

- दीवानी मामलों की प्रक्रिया निर्धारित की गई।
  - 4. **दंड प्रक्रिया संहिता (1861, बाद में 1973)**
    - आपराधिक प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया।
  - 5. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872**
    - साक्ष्य के नियमों को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया गया।
- 

### **संहिताकरण के लाभ (Advantages)**

1. **कानून की स्पष्टता** – नियम लिखित और निश्चित हो जाते हैं।
  2. **एकरूपता** – पूरे देश में समान कानून लागू होते हैं।
  3. **न्याय में सरलता** – न्यायालयों को निर्णय देने में सुविधा।
  4. **मनमानी में कमी** – परंपरागत और अस्पष्ट नियमों का अंत।
- 

### **संहिताकरण के दोष (Demerits)**

1. **कठोरता** – लिखित कानून कभी-कभी लचीलेपन की कमी पैदा करते हैं।
  2. **समय के साथ बदलाव की आवश्यकता** – सामाजिक परिवर्तन के अनुसार संशोधन आवश्यक।
- 

### **निष्कर्ष**

संहिताकरण ने भारत में विधि व्यवस्था को संगठित, स्पष्ट और एकरूप बनाया। ब्रिटिश काल में बनाए गए अनेक कानून आज भी संशोधित रूप में लागू हैं। इस प्रकार, संहिताकरण भारतीय विधि प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण रहा है।

- संविधान सभा की रचना एवं कार्य
- 

यह रहे आपके तीनों विषयों के 20 अंकों के पूर्ण मॉडल उत्तर (परीक्षा-उपयोगी शैली में) – प्रस्तावना, मुख्य भाग, दोष/महत्व तथा निष्कर्ष सहित।

---

### ✓ 1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (20 अंक)

#### प्रस्तावना

East India Company की बढ़ती राजनीतिक शक्ति, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के कारण ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यह भारत के संवैधानिक इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया।

#### प्रमुख प्रावधान

1. बंगाल के गवर्नर को **गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल** बनाया गया (वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल)।
2. गवर्नर जनरल की सहायता हेतु चार सदस्यीय परिषद की स्थापना।
3. मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन किया गया।
4. 1774 में Supreme Court of Calcutta की स्थापना – मुख्य न्यायाधीश सहित चार न्यायाधीश।
5. कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल चार वर्ष निर्धारित।
6. कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया।

#### महत्व

- कंपनी पर ब्रिटिश संसद का प्रथम प्रभावी नियंत्रण।

- भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव।
- न्यायिक व्यवस्था का प्रारंभिक ढांचा विकसित।

## दोष

- गवर्नर जनरल और परिषद में निरंतर मतभेद।
- सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच अधिकार क्षेत्र विवाद।
- भारतीय जनता के हितों की उपेक्षा।

## निष्कर्ष

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतीय संवैधानिक विकास की आधारशिला सिद्ध हुआ। यद्यपि इसमें कई कमियाँ थीं, फिर भी इसने ब्रिटिश नियंत्रण और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की।

---

### ✓ 2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (20 अंक)

## प्रस्तावना

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के प्रयास से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया।

## प्रमुख प्रावधान

1. **द्वैध नियंत्रण** (Dual Control) की स्थापना।
2. **Board of Control** की स्थापना – ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि।
3. कंपनी का व्यापारिक कार्य अलग तथा राजनीतिक कार्य अलग।
4. गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि।
5. प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण मजबूत।

## महत्व

- कंपनी की राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आई।
- प्रशासनिक व्यवस्था अधिक संगठित हुई।
- भारत पर क्राउन का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित।

## दोष

- भारतीयों को शासन में कोई वास्तविक भागीदारी नहीं।
- ब्रिटिश हितों की प्रधानता बनी रही।

## निष्कर्ष

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने भारत में ब्रिटिश शासन को अधिक केंद्रीकृत एवं नियंत्रित बनाया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

---

### ✓ 3. भारत शासन अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) (20 अंक)

## प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों की स्वशासन की मांग को देखते हुए 1919 में यह अधिनियम पारित किया गया। इसका आधार मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी।

## मुख्य विशेषताएँ

1. **प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) लागू।**
  - विषयों का विभाजन - आरक्षित एवं स्थानांतरित।
2. केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल (बिकैमरलिज्म) की स्थापना।
3. मताधिकार का सीमित विस्तार।
4. पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी।
5. प्रांतीय विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि।

## महत्व

- उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रथम कदम।
- भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी।
- विधायी संस्थाओं का विस्तार।

## दोष

- वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास रही।
- द्वैध शासन असफल सिद्ध हुआ।
- पूर्ण स्वशासन की मांग पूरी नहीं हुई।

## निष्कर्ष

भारत शासन अधिनियम 1919 भारतीय संवैधानिक विकास में एक संक्रमणकालीन चरण था। यद्यपि यह पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं कर सका, फिर भी इसने भविष्य के संवैधानिक सुधारों की नींव रखी।

---

यह रहे आपके तीनों विषयों के 20 अंकों के पूर्ण, परीक्षा-उपयोगी मॉडल उत्तर – प्रस्तावना, मुख्य प्रावधान, महत्व/दोष एवं निष्कर्ष सहित।

---

### ✓ 1. भारत शासन अधिनियम, 1935 (20 अंक)

#### प्रस्तावना

Government of India Act 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह साइमन कमीशन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों और श्वेत पत्र (White Paper) के आधार पर बनाया गया। इसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं।

#### प्रमुख विशेषताएँ

1. संघीय व्यवस्था (Federal System)

- भारत में संघीय ढाँचा प्रस्तावित।
  - संघ में प्रांत और देशी रियासतें शामिल होने वाली थीं (परंतु पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ)।
2. **प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)**
- 1919 की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त।
  - प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना।
3. **केंद्र में द्वैध शासन (Dyarchy at Centre)**
- केंद्र में विषयों का विभाजन (हालाँकि लागू नहीं हो सका)।
4. **संघीय न्यायालय की स्थापना (1937)**
- पहली बार संघीय स्तर पर न्यायिक संस्था।
5. **विधायिका का विस्तार**
- केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल।
  - मताधिकार का विस्तार।
6. **संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन**
- संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची।

### **महत्व**

- भारतीय संविधान का आधार बना।
- संघीय ढाँचा और सूची प्रणाली बाद में संविधान में अपनाई गई।
- प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत।

### **दोष**

- गवर्नर एवं वायसराय को अत्यधिक शक्तियाँ।

- संघीय योजना पूर्णतः लागू नहीं।
- पूर्ण स्वशासन का अभाव।

### निष्कर्ष

1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण था और स्वतंत्र भारत के संविधान की आधारशिला सिद्ध हुआ।

### ✓ 2. 1919 एवं 1935 के अधिनियमों की तुलना (20 अंक)

आधार	1919 का अधिनियम	1935 का अधिनियम
प्रकृति	आंशिक सुधार	व्यापक एवं विस्तृत
शासन प्रणाली	प्रांतों में द्वैध शासन	प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता
संघीय व्यवस्था	नहीं	संघीय ढाँचा प्रस्तावित
शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं		संघ, प्रांत, समवर्ती सूची
विधायिका	सीमित अधिकार	विस्तारित अधिकार
मताधिकार	बहुत सीमित	अपेक्षाकृत विस्तृत
न्यायालय	संघीय न्यायालय नहीं	संघीय न्यायालय की स्थापना
उत्तरदायी शासन	सीमित	प्रांतों में उत्तरदायी शासन

### निष्कर्ष

1919 का अधिनियम सुधार की दिशा में पहला कदम था, जबकि 1935 का अधिनियम अधिक विकसित और विस्तृत संवैधानिक ढाँचा प्रस्तुत करता है।

### ✓ 3. संविधान सभा (20 अंक)

## प्रस्तावना

भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अंतर्गत किया गया।

## गठन

- कुल सदस्य: 389 (विभाजन के बाद 299)
- प्रांतों एवं देशी रियासतों से प्रतिनिधि
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

## प्रमुख पदाधिकारी

- अध्यक्ष: Dr. Rajendra Prasad
- प्रारूप समिति अध्यक्ष: B. R. Ambedkar

## कार्य

1. संविधान का प्रारूप तैयार करना।
2. मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढाँचा निर्धारित करना।
3. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना।

## महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946
- संविधान अंगीकृत: 26 नवंबर 1949
- लागू: 26 जनवरी 1950

## महत्व

- भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया।
- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान निर्मित किया।

## **निष्कर्ष**

संविधान सभा ने विविधता में एकता का प्रतीक संविधान तैयार किया, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।

---